खण्ड-100, अंक-5
मंगलवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1873
(18 मार्च, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 100 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५८)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अम्मार अहमद ख़ां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ईतिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
ख़ुशवक्त राय, श्री
ख़ुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
ज़फ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अबस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली ख़ां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री
फ़ज़लुर्रहमान ख़ां, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुख़्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद जमशेद अली ख़ां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रज़ा ख़ां, श्री
मुहम्मद रहमत ख़ां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजकुंवार सिंह, राव श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पांडेय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेई शास्त्री, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद ख़ां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पश्चिमी पाकिस्तान से वापस आये हुये मुसलमानों की संख्या तथा उनकी सम्पत्ति की वापसी

†१—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि फरवरी, सन् १९५० ई० से मई, सन् १९५० ई० तक जो मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान गये थे उनमें से कितने मुस्तकिल परमिट पर इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेंट (समझौते) के अधीन उत्तर प्रदेश में वापस आये ? (जिले का नाम, बालिग़ मर्दों, बालिग औरतों और बच्चों की संख्या अलग अलग जिलेवार दी जाय।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—जो मुसलमान फरवरी, १९५० ई० से मई, १९५० ई० तक पश्चिमी पाकिस्तान गये थे उनमें से जो मुस्तक़िल परमिट पर इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेंट (समझौते) के अधीन उत्तर प्रदेश में वापस आये, उनके बारे में पूर्ण सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है। ऐसे आये हुये लोगों की कुल संख्या २०, ८७९ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५४ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि जो लोग वापस आये हैं उनको जल्द बसाने के लिये गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यहां तो सवाल इस बात का है कि कितने लोगों की प्रापटी वापस की गई, उसकी बाबत जवाब दिया जा सकता है। यह तो बहुत व्यापक सवाल है और इसका जवाब देने के लिये सूचना की जरूरत होगी।

† २—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कितने मुसलमानों को रेस्टोरेशन आफ प्रापटी (संपत्ति की वापसी) के सर्टीफिकेट जो उपरोक्त एग्रीमेंट के अधीन वापस आये थे, जारी किये जा चुके हैं और उनमें से कितनों को उनकी प्रापर्टी वाकई वापस कर दी गई है ? (जिले का नाम वगैरा दिया जाय।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५६० मुसलमानों को रेस्टोरेशन आफ़ प्रापर्टी संपत्ति की वापसी सर्टीफिकेट जो उपरोक्त ऐग्रीमेंट के अधीन वापस आये थे, जारी किये जा चुके हैं इनमें के से २८७ की जायदाद वापस हो चुकी है। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५६ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि लगभग २० हजार आदमी आये और अब तक ५६० सर्टीफिकेट्स जारी हुये, तो इसमें इतनी देर क्यों लग रही है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५६० सर्टीफिकेट्स जारी किये गये इसका मतलब यह नहीं है कि ५६० आदमियों को प्रापर्टी वापस की गई। एक एक प्रापर्टी में ६-६ और ७-७ आदमी इंट्रेस्टेड हैं। इस तरह से ३, ४ हजार तक नम्बर जा सकता है। देरी लगने की वजह यह है कि जो दरख्वास्तें रेस्टोरेशन के लिये दी जाती हैं उसमें बहुत से वेरिफिकेशंस (प्रमाणीकरण) देने होते हैं। मसलन् वह शख्स ईस्टर्न (पूर्वी) पाकिस्तान से आया है या वेस्टर्न (पश्चिमी) पाकिस्तान से। यह सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान के लिये लागू है। जायदाद जिसे वह वापस चाहता है उसमें कितने लोग इंट्रस्टेड (हितधारी) है, यह लिखना पड़ता है। किस

ग्राउंड्स (कारण) पर वह जायदाद वापस चाहता है, यह सब लोगों को लिखना पड़ता है। इसके अलावा एक बात और है कि जो २० हजार लौटे हैं यह जरूरी नहीं है कि उन सबको प्रापर्टी (सम्पत्ति) हो ही। एक तरह से जुडीशियल (न्यायिक) कार्रवाई की जाती है। अब फिर फ्रेश इंस्ट्रेक्शेस (नये आदेश) भेजे गये हैं और उम्मीद है कि अब दरख्वास्तें जल्दी ही एक्सपेडाईट (निस्तारित) हो जाया करेंगी।

थाना जलालपुर की मुसम्मात बलूजी चमारिन द्वारा मकान फूंकने और मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस को रिपोर्ट

†३—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साकिन मौजा जेठपुरा, तालुका गुतबन, थाना जलालपुर की मुसम्मात बलजी चमारिन ने कुछ लोगों के खिलाफ मकान फूंक देने और लाठियों से मार-मार कर हाथ-पैर तोड़ देने की रिपोर्ट पुलिस कप्तान के यहां की थी?

†४—यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब हुई थी और उसकी जांच कितने दिनों बाद हुई?

†५—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है और इस मामले में अब क्या कार्रवाई हो रही है?

माननीय अध्यक्ष—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य के इन सवालों के जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आये हैं। इनके स्थगित करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र आया था। गालिबन माननीय मंत्री इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ये जो सवाल हैं उनकी इत्तिला खुद हमको डिपार्टमेंट से देर में मिली। ६ तारीख को इनकी इत्तिला मिली। इस बीच में होली की छुट्टियां पड़ गई इसलिये इत्तिला जिले से नहीं आ सकी। इसलिये मजबूरी है कि जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—किस तिथि के लिये इन सवालों को स्थगित किया जाता है?

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य जानते हैं कि कितने रोज हम लोग बैठ रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर अब तिथि नियत करना जरा मुनासिब नहीं मालूम होता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—फिर क्या ये लैप्स (व्ययगत) हो जायेंगे?

माननीय अध्यक्ष—उम्मीद तो यही है। आप फिर नोटिस दे देंगे तो फिर आ जायेंगे। इस वक्त जो स्थिति है उसमें लैप्स होने की ही ज्यादा संभावना है।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के लिये लेखानुदान

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हुं कि ३१ मार्च, सन् १९५३ ई० को समाप्त होन वाल वर्ष में प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मदों के संबंध में होने वाले तखमीनों व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो ४४, ४९, ७१,००० रुपये से अधिक न हो।

इसे वोट आन एकाउन्ट (लेखानुदान) कहते हैं। इसका बजट पहले पेश हुआ था और इस सिलसिले में मैंने जो बातें जरूरी थीं वह सदन के सामने रख दी थीं। इस समय कोई नई बात नहीं है। उसी बजट के आधार पर यह लेखानुदान पेश किया जा रहा है। इसमें ४ महीने के लिये जो खर्चा साल गुजिश्ता में हुआ उसकी बुनियाद पर यह लेखा तैयार किया गया है। चूंकि यह उम्मीद है कि चार महीने के भीतर आगामी साल का बजट सही तरीके पर पेश होकर बन जायगा इसलिये इन चार महीनों के लिये यह काम चलाऊ लेखा पेश किया जा रहा है। उसकी सब तफसील सूची में दी हुई है। इसमें २० करोड़ रुपया

राजस्व लेखे का है और २३ करोड़ ५५ लाख रुपया कैपिटल अकाउन्ट (पूंजी व्यय) का है जिसमें से १९ करोड़ ट्रेडिंग अकाउन्ट (राज्य व्यापार) का है, जो खास कर अनाज की राशनिंग उसके सिलसिले में जो रुपया लगाना पड़ रहा है उसके लिये यह रखा गया है। इस तरीके से जो रुपया रखा गया था उसका यह १/३ के करीब है। इसकी तफसील जैसा कि मैंने अर्ज किया, जो बजट पास हुआ है उसमें दी हुई है। उसी का करीब-करीब एक तिहाई हिस्सा इसमें पेश किया गया है। सिवाय उन मदों के जिनका खर्चा सिलसिलेवार नहीं होता और जो जरूरी हैं वे इसमें और रख दी गई। इसलिये इसके लिये और ज्यादा समय इस सदन का लेना नहीं चाहता।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, वोट आन अकाउन्ट (लेखानुदान) के सिलसिले में हाउस आफ कामंस की प्रैक्टिस यह है कि वह बिना किसी वाद-विवाद के स्वीकार किया जाता है। मैं आपसे और आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि इसी नीति का हमें भी अनुसरण करना चाहिये और उसका कारण बिलकुल साफ है। वोट आन अकाउन्ट (लेखानुदान) की प्रथा इसलिये रखी गयी है कि बजट पर वाद-विवाद करने का पूरा मौका सदन को हो। इस वर्ष तो हमारे यहां असाधारण परिस्थिति है। नये इलेक्शन्स हुये हैं नई सरकार हमारे यहां बनेगी इसलिये इस सदन के लिये जो अपनी अवधि समाप्त कर चुका है यह मुनासिब न होगा कि वह अगले पूरे साल के लिये बजट पास करे। इसके अतिरिक्त हमारे पास समय भी नहीं है। यह मुझे मालूम है कि सेण्टरल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में इस वोट आन अकाउन्ट (लेखानुदान) के सिलसिले में काफी वाद-विवाद हुआ। मेरी समझ में नहीं आया कि यह वाद-विवाद क्या मानी रखता है। इसलिये कि अगले वर्ष जो सरकार होगी और उसकी जो जिम्मेदारियां होंगी उस जिम्मेदारी को आयद करना किसी तरह भी मुनासिब बात नहीं है क्योंकि आगे चल कर बजट पेश किया जायगा। इंगलैण्ड में भी यह प्रैक्टिस (रीति) है कि साधारण तौर पर बजट ३१ मार्च तक पास नहीं होता और हमेशा उसमें अधिक समय लग जाता है और ज्यादातर सरकारी बजट दूसरे वर्ष में ही पास किया जाता है। इस आदरणीय सदन ने भी अपने नियमों में इस प्रकार की गुंजाइश रखी है। इसलिये मैं आपसे और आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सिलसिले में कोई वादविवाद न करे और हम वैसा ही करें जैसा कि हाउस आफ कामन्स में किया जाता है, यानी बिना किसी वादविवाद के हम इस वोट आन अकाउन्ट को स्वीकार करें। अतः मैं जो माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया है उसकी ताईद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में इसके साथ नत्थी अनुसूची [नत्थी (ख)] में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मदों के संबंध में होने वाले तखमीनी व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो ४४,४९,७१,००० रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल]

माननीय अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री इस १९५२ ई० के विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रिएशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पेश करने की इजाजत का प्रस्ताव पेश करेंगे।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करने की इजाजत दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, खण्ड १—३ तथा अनुसूची

पहली अप्रैल, १९५२ ई०, को आरम्भ होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियां निकालने की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाय :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२—५३ ई० के लिये ५१,७१,६४,००० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो पहली अप्रैल, १९५२ ई० को आरम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है, जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल जोड़ ५१,७१,६४,००० रु० (एक्यावन करोड़, एकहत्तर लाख, चौंसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उक्त वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउण्ट)—			
१	कृषि आय कर (ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	७७,०००	...	७७,०००
२	मालगुजारी	७५,२८,०००	...	७५,२८,०००

१	२	३		४
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	३०,३९,०००	...	३०,३९,०००
४	स्टाम्प	१,६१,०००	...	१,६१,०००
५	वन (फ़ारेस्ट)	४०,७५,०००	...	४०,७५,०००
६	रजिस्टरी	४,४४,०००	...	४,४४,०००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	...	...	...
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	८,६४,०००	...	८,६४,०००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य .	९६,१५,०००	...	९६,१५,०००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत स्थापना (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	८६,३८,०००	...	८६,३८,०००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	१,००,९६,०००	३,२६,०००	१,०४,२२,०००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	८६,८१,०००	...	८६,८१,०००
१३	गांव सभायें और पंचायतें	१४,६८,०००	..	१४,६८,०००
१४	न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस)	३९,०८,०००	८,१०,०००	४७,१८,०००
१५	जेल ..	३६,४३,०००	..	३६,४३,०००
१६	पुलिस ..	२,४०,६१,०००	..	२,४०,६१,०००
१७	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स)	३५,०००	..	३५,०००
१८	शिक्षा ..	२,६१,७३,०००	..	२,६१,७३,०००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	७१,५७,०००	..	७१,५७,०००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	३३,४२,०००	..	३३,४२,०००

१	२	३		४
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन सर्विसेज ऐंड पर्पजेज	निम्नलिखत धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा स्वीकृत	द्वारा राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२१	कृषि संबधी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल-डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	५५,८७,०००	..	५५,८७,०००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइज़ेशन) ..	६६,०६,०००	..	६६,०६,०००
२३	ग्राम सुधार (रूरल डेवेलपमेंट) ..	..	..	..
२४	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	३५,३५,०००	..	३५,३५,०००
२५	विद्युत योजनाओं पर व्यय ..	३२,२५,०००	..	३२,२५,०००
२६	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	५,३६,०००	..	५,३६,०००
२७	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	२३,५७,०००	..	२३,५७,०००
२८	उद्योग ..	२८,१०,०००	..	२८,१०,०००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या ..	७,५०,०००	..	७,५०,०००
३०	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग ..	१,११,२०,०००	..	१,११,२०,०००
३१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	९५,३६,०००	१,१६,०००	९६,५२,०००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) ..	३,८३,०००	..	३,८३,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय ..	१३,२५,०००	..	१३,२५,०००
३४	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स) ..	७,८४,०००	..	७,८४,०००

१	२	३		४
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ैमिन रिलीफ़) ..	४,०५,०००	..	४,०५,०००
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें ..	२,६३,०००	..	२,६३,०००
३७	बुढ़ौती (सुपरिएनुएशन) भत्ते और पेंशनें	६३,०३,०००	४७,०००	६३,५०,०००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	२६,०६,०००	..	२६,०६,०००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	१,१८,९५,०००	..	१,१८,९५,०००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	१५,९९,०००	..	१५,९९,०००
४१	असाधारण व्यय (एक्सट्रा आर्डिनरी चार्जेज)	५५,४१,०००	..	५५,४१,०००
४२	योजना और एकीकरण	४,८२,०००	..	४,८२,०००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर व्याज ..	..	७३,३८,०००	७३,३८,०००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	..	६,३५,५०,०००	६,३५,५०,०००
	योग, 'क' ..	२०,०६,५३,०००	७,२१,८७,०००	२७,२८,४०,०००
	ख--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर पूंजी व्यय			
४३	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	१,९०,५२,०००	..	१,९०,५२,०००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले) ..	७४,६७,०००	..	७४,६७,०००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अधिक विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४५	औद्योगिक विकास (इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट)	७१,९९,०००	..	७१,९९,०००
४६	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ..	४८,३२,०००	..	४८,३२,०००
४७	विद्युत-योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	१२,८७,०००	..	१२,८७,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज़) सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	५०,२८,०००	..	५०,२८,०००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ़ पेंशन्स)	६,५३,०००	६,०००	६,५९,०००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	१९,००,००,०००	..	१९,००,००,०००
	योग, 'ख' ..	२३,५५,१८,०००	६,०००	२३,५५,२४,०००
	ग--ऋण और अग्रऋणों (लोन्स ऐंड ऐडवांसेज़) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (ऐडवांसेज़) ..	८८,००,०००	..	८८,००,०००
	योग, 'ग' ..	८८,००,०००	..	८८,००,०००
	कुल योग ..	४४,४९,७१,०००	७,२१,९३,०००	५१,७१,६४,०००

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, २ ३, अनुसूची और प्रस्तावना इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउंट) बिल] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संसद् के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने के विनियमन होने के संबंध में संकल्प

माननीय अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, उस रोज जब कि मुख्य मंत्री साहब ने इस हाउस के सामने यह रेजोल्यूशन (संकल्प) पेश किया था तो फौरन् जो कुछ ख्यालात मेरे जहन में पैदा हुये वह यह थे कि बेहतर और मुनासिब यह होगा कि अब जब कि इस हाउस की मुद्दत (जिन्दगी) खत्म हो रही है तो इस किस्म के उसूली सवाल और ऐसे मामलात पर जिनके अन्दर किसी उसूल का फैसला करना हो आयन्दा के लिये जो हाउस बना है और मुन्तखिब होकर आया है वह अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर महसूस करते हुये ऐसे अहम मसले का फैसला करे । लेकिन उसी के साथ जो मैंने गौर किया तो यह सोचा कि यह एक बड़ा भारी मसला है और बड़ी अहम चीज है जिसके ऊपर सूबे की इक्तसादी जिन्दगी, एग्रीकलचरल जिन्दगी का इन्हसार है इस वक्त जो हम लोग यहां पर बैठे हुये हैं अगर अपने ख्यालात का इजहार न करें तो खुदा जाने आगे आने वाला हाउस हम लोगों के मुताल्लिक़ क्या ख्याल करे । लिहाजा मैंने यह सोचा कि जो कुछ मेरी हक़ीर राय और मेरी अदना राय इस सिलसिले में है उसको मैं बिला तक़ल्लुफ ज़ाहिर कर दूं और इसका ख्याल न करूं कि वह राय गवर्नमेंट को पसन्द होगी या न होगी और वह हाउस (सदन) में मंजूर की जायगी या नहीं की जायगी।

इबतदाई उसूल के बाद मैं इस रिजोलूशन (संकल्प) के बारे में कुछ अर्ज करूंगा । सब से बड़ा सवाल एक उसूल का इस सिलसिले में यह है कि हम मरकज से यह कहने जा रहे हैं कि जो हक़ूक़ हमें कांस्टीट्यूशन (संविधान) के जरिये से हासिल होते हैं वह पावर (शक्ति) हम सेंटर को डेलीगेट (प्रत्यायोजित) करना चाहते हैं कि वह चाहे तो इन क़वानीन को हमारे लिये खुद बना दे । यह कही जाती है कि ताकि सारे भारत में क़वानीन यकसां हों और तमाम सूबों में एक यूनीफ़ार्मिटी रहे इसलिये ऐसा किया जा रहा है । यह दूसरा उसूली सवाल है। तीसरी चीज यह है कि आया आन मेरिट्स (गुण के आधार पर) हक़ीक़तन यह मामला आज की मुल्क की हालत को देखते हुये मरकज के सामने लाये जाने के क़ाबिल भी है या नहीं । यह तीसरी चीज है जिस की तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

मैं उसूलन इसको पसन्द नहीं करता कि हम अपनी जिम्मेदारियों को और उन अख्त्यारात को जो कांस्टीट्यूशन (संविधान) से हमें हासिल हैं हम मरकज को डेलीगेट करें । इस वजह से कि ये अख्त्यारात क्या हमको दिये गये और वाजियाने कानून ने क्यों ये हक़ूक़ हमें दिये इसकी वजह महज यह है कि हर स्टेट (राज्य) अपने यहां के कानून को बनाते वक्त अपने यहां के हालात को ज्यादा समझ सकती है बनिस्बत इस के कि सेंटर तमाम स्टेट्स के हालात को इतनी अच्छी तरह से समझे। लिहाजा जिस वख्त वाजियाने क़ानून ने संविधान बनाया उस वक्त इस किस्म के कवानीन का बनाना स्टेट के जिम्मे ही रखा था कि खुद अपने यहां की हालात को देख कर ऐसे क़ानून बनावें और अगर अब हम इसको सेन्टर के सुपुर्द करते हैं तो वह ग़र्ज ही फौत हो जाती है जिस के लिये क़ानून में यह बात रखी गयी थी। दूसरी बात यूनीफार्मिटी के बारे में है । मेरा ख्याल है कि इस तरह के लेजिस्लेशन (विधान) चाहे टैक्सेशन (करारोपन) के मुताल्लिक हों या लैंड रिफार्म (भूमि-व्यवस्था) के मुताल्लिक हों या

[नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां]

जमीदारी, काश्तकारी या ज़राअती मामलात पर हो उन सब के अन्दर यूनिफ़ार्मिटी का ख़्याल करना ग़लत है। यह बात जितने भी एग्रीकल्चरल कमीशन बैठे हैं उन्होंने भी बड़े गौर व फ़िक्र के बाद तसलीम की है कि हर सूबे के हालात एक दूसरे सूबे से मुख़्तलिफ होते हैं चाहे वह इक़तसादी हालात हों, ज़राअती हों, या रहन-सहन के बारे में हों। इसलिये तमाम भारत के लिये एक कानून बनाने का उसूल ठीक नहीं है कि जिस से आप यूनिफ़ार्मिटी (एकरूपता) चाहते हैं। जिस यूनिफ़ार्मिटी के लिये हम अपने अख्त्यारात को काम में न ला कर मरकज़ को डेलीगेट कर रहे हैं वह ग़रज़ ही ग़लत है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह रिज़ोलूशन बिल्कुल बेकार हो जाता है बल्कि इस से नुक़सान पहुंचता है।

अब सवाल यह है कि इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) या डेथ ड्यूटी (मृत्यु-शुल्क) लगाना सूबे के मौजूदा हालात को पेशेनज़र रखते हुये कहां तक मौजूं है। पहली बात इस सिलसिले में यह है कि ज़मीदारी अबालीशन (विनाश) होने के बाद, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स (कृषि आय कर) लगाने के बाद और सेसेज़ (उपकरों) के बढ़ जाने के बाद इस बात की गुंजाइश बाक़ी भी रहती है या नहीं कि जो कुछ रहा सहा हो वह भी दूसरे टैक्सेज़ (करों) के ज़रिये ले लिया जाय। इस ड्यूटी (शुल्क) का ख़्याल बिल्कुल मग़रबी मुमालिक का ख़्याल है। यह हमें मग़रबी मुमालिक से मिला है। वहां का इनहेरिटैंस ला (उत्ताधिकार की विधि) हमारे इनहैरिटैंस के ला से बिलकुल मुख़तलिफ़ है। वहां पर, जहां तक मेरा महदूद इल्म है, विल, (वसीअत) ज़रिये से इनहैरिटैंस (उत्तराधिकार प्राप्त) होता है। जो शख़्स अपनी प्रापर्टी को जिस तरह से मुनासिब समझे उसकी विल कर दे और वह उसी विल (वसीअत) के मुआफ़िक काम में लायी जायगी। इस तरह से वह एक मजमूई यूनिट (सब मिला कर इकाई) रहता है। हमारे यहां मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां का विरासत का तरीक़ा बिल्कुल ही जुदा है। हमारे यहां जो आज एक प्रापर्टी है वह दूसरी पुश्त उससे छोटे टुकड़े और तीसरी में उससे भी छोटे टुकड़े हो जाती है। इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ (पाश्चात्य देशों) में जो प्रापर्टी एक मजमूई यूनिट में रहती है तो उसके अन्दर मजीद टैक्स का बोझ उठाने की ताक़त कहीं ज्यादा होती है बनिस्बत हमारी प्रापर्टी के जो टुकड़े होती चली जाती हैं। टुकड़े कम बोझ उठा सकते हैं। जो कानून विरासत के सिलसिले में हमारे हिन्दू साहबान के यहां है वह और भी ज्यादा मनाज़ी है कि इस क़िस्म की डैथ ड्यूटीज़ (मृत्यु-शुल्क) लगाई जाय। वहां एनसैस्ट्रल प्रापर्टी (पैत्रिक सम्पत्ति) में बच्चे का मां के पेट से ही हक़ हो जाता है। मैं सबजैक्ट टू करैक्शन (शुद्धि के अधीन) हूं, इस वास्ते कि मुझे पूरी वाक़फ़ियत इस क़ानून के मुताल्लिक़ नहीं है। सिर्फ़ वह प्रापर्टी (सम्पत्ति) जो किसी शख़्स ने कमाई है वही ऐसी रह जाती है कि जिस तरह से वह मुनासिब समझे उसे तक़सीम करे। इस तरह तमाम प्रापर्टी एक ही यूनिट हमारे यहां नहीं रहती है। तो जब उसके छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कहां तक मुनासिब होगा कि उनपर और टैक्स लगाकर उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाय। यह चीज़ बिलकुल गलत होगी। यह चीज़ें हमारे प्रदेश के रास्ते में और हमारे मुल्क की तरक्क़ी के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। जिन लोगों ने, बड़े बड़े फ़िलासोफ़र्स (दार्शनिकों) ने, इस मसले पर गौर किया है उनकी यह राय रही है कि अगर इस तरह के टैक्सेशन (कर) से या और इनडाइरेक्ट तारीके से लैंडेड प्रापर्टी (भू सम्पत्ति) का नैशनैलाइज़ेशन (राष्ट्रीयकरण) करना है तो यह हाफ हार्टेड (अपूर्ण) तरीक़े से और टुकड़ों में नैशनैलाइज़ेशन करना मुल्क के लिये निहायत ख़राबी का बाअस होगा। इसके मुक़ाबले में फिर तो वही कम्युनिस्ट उसूल अच्छा होगा, हालां कि मैं उसके फेवर (पक्ष) में नहीं हूं। लेकिन इसके मुक़ाबले में कि आप स्लो प्वाइज़निंग (धीरे धीरे समाप्त) करें, आप यह करें कि हर चीज़ का नेशनलाइज़ेशन कर दें। (राष्ट्रीय करण)

लिहाज़ा इन हालात को देखते हुये मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि किसी सूरत में भी हमारी तरफ़ से यह सिफारिश जाय कि हम पार्लियामेंट को अख्तियार देदें कि वह हमारे लिये

क़ानून बनाये और एक ऐसा क़ानून कि जिससे तमाम तबाही व बर्बादी हो जायगी और आयन्दा के लिये कोई कोशिश का माद्दा बाक़ी नहीं रहेगा। मैं यह अर्ज़ करने के लिये तैयार हूं बहैसियत एक मामूली ज़मींदार होने के कि अर्से से जब से ये मामलात ज़मींदारी के पेश हैं, न काश्तकारों की उस तरफ़ कोई ख़ास तवज्जह बाक़ी रही है उसकी पैदावार बढ़ाने की और ज़मींदारों का तो हश्र ही क्या हुआ है। वे समझते हैं कि खुदा जाने किस वक्त यह तलवार जो हमारे सिर पर लटक रही है हमें ख़त्म कर दे। अब एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) का जो नया अफ़साना लाया जा रहा है वह हमारे मुल्क की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगी। इन अल्फाज़ के साथ मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज़ करूंगा कि जब वह इस मसले को इस हाउस (सदन) के सामने लायें तो हमारे सामने वह आदादो शुमार और वह हालात पेश करें कि जिनकी बिना पर इसकी जरूरत महसूस हुई और तब इस बात पर ग़ौर किया जाय कि आया ऐसा लेजिस्लेशन (विधान) बनने की जरूरत भी है या नहीं है। अगर बम्बई की हालत देखते हुये हम अपने यहां कोई क़ानून टैक्सशन (करारोपण) का बना लेते हैं तो वह क़ानून कितना ग़लत होगा। इन अल्फाज़ के साथ मैं यह गुजारिश करूंगा कि आनरेबिल चीफ़ मिनिस्टर इस रेजोल्यूशन (संकल्प) को वापस ले लें।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के सिलसिले में उपस्थित किया है उसका संबंध एक नये प्रकार का कर लगाने से है। संविधान के अन्तर्गत इस प्रदेश के लेजिस्लेचर (विधान मंडल) को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार का क़ानून बना सके या पार्लियामेंट से प्रस्ताव द्वारा यह दरख्वास्त करे कि वह इस प्रकार का क़ानून बनाये। मुझे नहीं मालूम कि पार्लियामेंट का जो इस सिलसिले में फ़र्ज़ है या उसको अधिकार है एग्रीकल्चरल लैंड्स (कृषि भूमि) के अलावा दूसरी जायदादों के सिलसिले में एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) लगाने के बारे में उसने इस अधिकार को इस्तेमाल किया या नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, नहीं इस्तमाल किया और अब तक पार्लियामेंट ने नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि भू के अतिरिक्त सम्पत्ति) के सिलसिले में एस्टेट ड्यूटी के संबंध में कोई क़ानून नहीं पास किया। मुझे, श्रीमन्, यह नहीं मालूम है कि एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि-भू-सम्पत्ति) के ऊपर एस्टेट ड्यूटी लगाने के सिलसिले में किसी दूसरे प्रदेश ने कोई क़ानून पास किया है या नहीं अथवा इस प्रकार की कोई दरख्वास्त पार्लियामेंट से की है या नहीं कि पार्लियामेंट ऐसा क़ानून बनाये।

दो प्रश्न इस सिलसिले में उपस्थित होते हैं। एक तो यह है कि क्या यह मौका मुनासिब है कि एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि-भू) के ऊपर कोई और नये प्रकार का टैक्स लगाया जाय। जहां तक जमींदारी के खात्मे का सवाल है वह तो एक समय की बात अब रह गई है। अदालत का फैसला हो जाने में मेरी राय में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जमींदारी खत्म हो जायगी। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि सम्पत्ति) दो प्रकार की रहेंगी, एक तो बागात और दूसरे खेत। इसमें शुबहा नहीं कि खेती के सिलसिले में इधर भी हाल में कुछ नये नये फार्म हजार हजार, पांच पांच सौ, दो दो सौ और सौ सौ एकड़ के खोले गये हैं। इसके कब्ल जमींदारों की बड़ी बड़ी सीरें थीं सौ सौ, दो दो सौ और तीन तीन सौ एकड़ की। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद जिनके पास बड़े बड़े फार्म हों, खेती हो, बागात हों एक फीसदी नहीं बल्कि १।१० फीसदी शायद पूरे प्रान्त में हों। आज इत्तिफाक से मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं, इसका मुझे दुख है, वर्ना मैं पेश करता। जाहिर सी बात है कि जब कोई इस प्रकार का कानून बनता है तो महज चन्द लोगों पर, थोड़े से लोगों पर टैक्स लगाने के सिलसिले में नहीं बनता। हो सकता है कि जो कानून सेण्ट्रल पार्लियामेंट इस सिलसिले में बनाये उसमें वह ऐसे लोगों पर भी एस्टेट ड्यूटी लगादे जिनका ५० एकड़ का फार्म है या २५, ३०, या ४० एकड़ में जिनका बाग है।

एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ना चाहिये, खेती की पैदावार की कमी के कारण ९० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार का महज दूसरे देशों से

[त्रिलोकी सिंह]

अन्न खरीदने में खर्च होता है, इस प्रदेश की सरकार को भी ३ या ४ करोड़ नुकसान इमसाल हुआ और आइन्दा साल ८ या ९ करोड़ का नुकसान है। तो खेती की पैदावार को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिये एक बहुत बड़ा उपाय, श्रीमन्, यह है कि आप फार्म ओनर्स (खेतों के स्वामियों) को, किसानों को, इस प्रकार की मदद दीजिये कि वे अपने खेत की पैदावार को बढ़ायें। मुझे भय है कि ऐसे समय में जब कि केन्द्रीय सरकार और प्रादेशीय सरकार का जोर खेत की पैदावार को बढ़ाने की तरफ है उस मौके पर एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि भू) के ऊपर ड्यूटी (शुल्क) लगाने की बात करने से क्या इस योजना में हमें प्रोत्साहन मिलेगा? जैसा मैंने अर्ज किया, मुझे भय है कि उसका असर उल्टा होगा। इसलिये मैं, श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को इस प्रकार न लायें बल्कि इसके वादविवाद का पूरा मौका होना चाहिये, पूरे आंकड़े होने चाहिये कि इस प्रकार की एस्टेट ड्यूटी का प्रश्न पार्लियामेंट में उठा या नहीं उठा, दूसरे प्रदेशों में उठा या नहीं उठा और अगर उठा है तो वहां लोगों ने, और उन सरकारों ने इस सिलसिले में क्या राय कायम की है ताकि बहुत समझ बूझ कर इस सिलसिले में कदम उठाया जाय।

मुझे कोई ज्यादा अर्ज नहीं करना है, साफ बात है और उसमें कोई पेचीदगी भी नहीं है। सिर्फ मेरी निगाह में एक मोटी बात यह है कि ऐसे समय में जब कि खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये सरकार हर तरह का प्रोत्साहन देने को तैयार है और खर्च करने को तैयार है और खेती की पैदावार की कमी से सौ करोड़ से अधिक केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को घाटा होता है, या सालाना खर्च करना पड़ता है, तो इस प्रकार के नये टैक्स के लगाने की चर्चा छेड़ना कहां तक मुनासिब है।

मैं समझता हूं कि मुनासिब है और इस लिये मैं श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें और आइंदा के लिये यदि इसकी जरूरत समझें तो पूरे आंकड़ों सहित और पूरे वादविवाद का मौका देकर इस सदन के सामने उपस्थित करें जब कि यह अनाज की कमी का प्रश्न दूर हो जाय जिससे कि इस बात से कि जो नई ड्यूटी खेती और बागात की पैदावार के ऊपर लगने जा रही है, लोगों के दिलों में भ्रम न पैदा करे और वह प्रयत्न जो खेती की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में हो उसमें किसी प्रकार की कमी न हो।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो अभी अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक तो आशंका यह प्रकट की कि इस नये कर से खेत की पैदावार पर असर पड़ेगा। खेत की पैदावार कम हो जायगी, खेती के उत्पादन के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। प्रश्न तो हमारे सामने यह है कि आया हम उस कर के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि नहीं। फिर जहां तक उसके विस्तार का सवाल है कि किन वर्गों पर लगेगा, कितनी आय पर लगेगा यह तो एक आपके सोचने की चीज है और जहां तक टैक्स लगाने का सिद्धांत है जो भी जनता के प्रतिनिधि है वह जनता की मांग को और उनकी इच्छाओं को किसी भी तरह से ठुकरा नहीं सकते। तो हमें विचार करना है कि हमारे इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति क्या है और आगे हमारे ऊपर क्या बोझा है।

हमारे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगामी साल का बजट पेश किया है उसमें नई योजनाओं के लिये किसी भी प्रकार की आय का कोई सिद्धांत उसमें नहीं दिखाया गया है। इसी तरह से जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसमें भी जो हमारी पंच वर्षीय योजनायें हैं उनको पूरा करने के लिये धन का पूर्णतया अभाव मालूम पड़ता है। नया सदन जिस वक्त बैठेगा उसके सामने यह प्रश्न होगा कि हम किस तरह से पंच वर्षीय योजना

के अनुसार अपने प्रान्त का विकास करें। यदि हमें पंच वर्षीय योजना के अनुसार इस प्रांत का विकास करना है तो हमको नये साधनों को खोजना होगा जिससे कि हमारे इस प्रान्त की सम्पत्ति बढ़े, हमारे प्रान्त का सिर ऊंचा हो और यहां की जनता को हम सुख और सुविधायें पहुंचा सकें। तो इस लिये नये टैक्स से हम किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। हमको उससे घबराना नहीं है। देखना केवल यह है कि उस टैक्स का मंशा क्या है। उससे हमारे इस प्रांत और समाज के सुख के अन्दर वृद्धि होगी या जनता के सर के ऊपर एक नया बोझा होगा।

टैक्स का एक माना हुआ सिद्धान्त है जो हमारे देश में अनादिकाल से चला आता है। टैक्स कैसे लगना चाहिये जैसे सूर्य जहां पर जल होता है उसको सुखा देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सूर्य जल को सुखायेगा तो वर्षा जिस समय होगी वह समान रूप से होगी। तो इस वक्त में दो विचार धारायें हमारे देश में काम कर रही हैं। एक तो गांधीजी का मार्ग है, हम यहां पर समानता और लोगों के सुख को और जिसको कि हम एक आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र कहते हैं हम किस तरीके से कायम करें। दूसरा तरीका हिंसा का है, कम्युनिस्टों का है। वह जमीनो को छीन करके, सम्पत्ति को छीन करके गरीबों को ऊपर लाना चाहते हैं और इस प्रकार से समाज के अन्दर समता लाना चाहते हैं।

हमने जानबूझ कर अहिंसात्मक ढंग अपनाया है, शान्तिमय ढंग को हमने अपनाया है। एक बार जब आपने समानता का उसूल स्वीकार कर लिया, जब आपने प्रत्येक व्यक्ति को समानता दे दी राष्ट्र के कार्यों में हिस्सा लेने की तो फिर समानता देने के बाद भी आप समानता की तरफ सहर्ष कदम उठाने में संकोच क्यों करें ? इस से तो आप हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देंगे और इस देश के अन्दर क्रांति लाने की दावत देंगे इस लिये इस टैक्स का जो सिद्धांत है जो भी आज धनिक वर्ग है चाहे वह जमींदार हो चाहे अन्य प्रकार की सम्पत्ति का मालिक हो, जब कि पुलिस के पहरे के नीचे वह अपनी सम्पत्ति को संचित करते हैं तो क्या कारण है कि वह राज्य जो कि समाज की एक कार्यकारिणी है वह भी उस सम्पत्ति का भागीदार न हो।

इस टैक्स का मतलब हरगिज यह नहीं है कि जमीन की पैदावार न बढ़े। इस टैक्स का मतलब यह है कि किसी सम्पत्ति में राज्य का भाग भी होना चाहिये। तो जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है इसका मतलब तो यह है कि चूंकि सब प्रकार की सम्पत्ति पर, जमीन के अलावा, केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार है और एग्रीकल्चरल (कृषि) सम्पत्ति पर नहीं है, इसलिये एक ही सिद्धान्त के अनुसार जब नियम बने और हमारी केन्द्रीय सरकार जिस समय कि नान-एग्रीकल्चरल सम्पत्ति पर इस प्रकार का टैक्स लगाये तो एग्रीकल्चरल (कृषि) सम्पत्ति को भी उसके दायरे से बाहर न रखे।

पारसाल एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के सम्बन्ध में पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी। उस वक्त यह इरादा था कि यह एस्टेट ड्युटी (सम्पत्ति शुल्क) लगाई जाय और यह कोई नई चीज नहीं है। सभी प्रगतिशील राज्यों में एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) का प्राविजन (उपन्ध का) है। इसलिये हमारी यह असेम्बली जिसका कि जीवन अब खत्म हो रहा है, यदि एक प्रगतिशील कदम उठाये और नये सदन के लिये एक प्रेरणा दे तो यह हम सब लोगों के लिये गर्व की बात होनी चाहिये। हमें इस बात के देखने की जरूरत नहीं है कि हमें किस प्रांत ने मार्ग दिखाया है। हम दूसरे प्रांतों की तरफ क्यों देखें। हमें स्वयं अगुआ बनना चाहिये। तो हमको सोचना होगा कि जिस तरह से आज बिनोवा भावे जमींदारों से भूमि दान देने के लिये कहते हैं एक तरीका यह है और दूसरा शान्तिमय तरीका असेम्बलियों और पार्लियामेंट के द्वारा है। वह भी एक अहिंसात्मक तरीका है। हमको निश्चय करना होगा कि हम स्टेटस को (पूर्व स्थिति) कायम रखना चाहते हैं, हम मौजूदा समाज को कायम रखना चाहते हैं या मौजूदा समाज को शान्तिमय ढंग से बदलना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां पर हमने जनता को समान रूप से वोट देने का अधिकार दे रखा है और जिन्होंने अपना वोट देकर हममें अपना विश्वास प्रगट किया है उन को हम

[श्री बनारसी दास]

वास्तविक स्वतंत्रता देना चाहते हैं उनको हम आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं। हमारी असेम्बलियां यदि वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता जनता को देने में असफल रहेंगी तो क्रांति की शक्तियां आयेंगी। उसके अन्दर ये बह जायंगी और उसके साथ-साथ जो लोग उनके संरक्षक बनना चाहते हैं वे भी उड़ जायेंगे। मैं तो हमेशा यह समझता हूं और मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां की विधान सभाएं एक प्रकार का ब्रेक (रुकावट) बन गई हैं जनता की प्रगति के अन्दर और आज जो हमारी चाल है वह हमको प्रगति के रास्ते की तरफ जाने से रोकती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जितनी भारी तादाद में हम को जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और वास्तव में हमको जो यह निधि मिली है यदि उसके हम सही मानों में अधिकारी हैं तो हमें जनता के विश्वास के योग्य बनना होगा और जनता हमसे यही मांग करती है कि जो लोग ऊपर हैं उन को नीचे की तरफ लाया जाय और जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर की तरफ ले जाया जाय।

केवल वोट की समानता का नारा लगाना जनता को भ्रम में डालना है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करना चाहिये। जो जमींदार वर्ग के लोग हैं और जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वह लोग इस चीज को समझें और देखें कि आज हमें एक अर्जेंसी (आपात) के अन्दर समय की मांग के अनुसार ऊपर उठना चाहिये। जो भी वर्ग अपने स्थापित स्वार्थ की रक्षा करने की कोशिश करते हैं वह लोग भूल जाते हैं इतिहास के सबक को। वह न केवल अपने स्थापित स्वार्थों की ही रक्षा कर सकते हैं बल्कि उनको उसकी कीमत अपने खून से देनी पड़ती है।

हिन्दुस्तान में हमने निश्चय कर लिया है कि हम इस खून के इतिहास को, इस खूनी क्रांति को नहीं दोहराने देंगे और जो परम्परा हमारे देश को है उससे हम एक ऐसे समाज का विकास करेंगे जो एक अहिन्सात्मक समाज होगा। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारा प्रांत इस देश का सबसे अगुआ प्रांत है और यह सबसे आगे बढ़ा चढ़ा है। केन्द्रीय सरकार की ओर से यह एस्टेट एड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) शीघ्र लगाई जाय जिससे हमारे प्रांत की आय बढ़े और जो समाज को ऊंचा उठाने का कारण हो। समाज को ऊपर उठाने के लिये हमको पैसा काफी तादाद में मिल सके। गवर्नमेंट को इस बात की शिकायत न हो कि पैसे के अभाव में हम प्रांत की विकास योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाये। जितनी विकास की योजनायें हमने ली थीं उनको हमें पैसे की कमी के कारण छोड़ना पड़ा। इस लिये अध्यक्ष महोदय मैं अपने सदन के सभी साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव प्रगतिशील है और हमको सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर ले जाने वाला है। इसलिये इसको हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये। जिनके हाथ में आज सम्पत्ति है, जो खुशकिस्मत हैं और जो अब तक हर तरह के आराम के साथ रहे हैं उनको युग की पुकार को समझना चाहिये अधिक समय तक आप अपना विश्वास जनता को नहीं दिला सकते इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा है कि यह भवन सर्वसम्मति से इसको मंजूर करेगा और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में जल्द एक बिल पेश करेगी।

श्री अक्षयकुमार करण---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह बड़े महत्व का है और उसका महत्व इसलिये भी है कि हमारे प्रदेश के इस तरह के मसले सुलझाने के लिये आज हिन्दुस्तान का सब से बड़ा फकीर गांव गांव में घूम रहा है और इस मसले सुलझाने की चर्चा घर-घर में कर रहा है। आज वह बड़ों और छोटों इस समस्या को सुलझाने की अपील कर रहा है। हम समझते हैं कि इस की चर्चा करने केलिए यह उपयुक्त सदन है और इसको फरखदिली के साथ इस मामले में फैसला करना चाहिये। आगे जो लोग चुनाव लड़कर आये है और जनता ने जिनको यहां भेजा है, मैं समझता हूं कि वह लोग इस मामले को और भी दिलेरी

और फराखदिली के साथ सोचेंगे और विचारेंगे, क्योंकि वह जानते है कि जनता का जो विश्वास उनको प्राप्त हुआ है वह गरीब है। अभी जो लोग यहां मौजूद हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे वर्ग के हैं जिनके लि यह मसला बहुत बड़ा है लेकिन उन लोगों को चाहिये कि वह जरा दिलेरी और फराखदिली से इस पर विचार करें और लोगों को बतलाये कि हम लोगों ने अपनी सरकार को यह विश्वास दिलाया था कि हमारे पास जो सम्पत्ति है और जो हमारी आय है उस सबको हम राष्ट्र निर्माण के लिये लगा सकते हैं और हम फराख दिली के साथ सरकार कोसहयोग देते हैं।मै इसलिये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारी सरकार यह बड़ा कदम उठावे।

किसी बड़े मसले को हल करने के लिये तीन तरीके हैं। तीसरा तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते क्योंकि इस सदन के सामने हमने जिस महापुरुष का चित्र टांग रखा है वह कार्य उनके आदेशों और हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा और अगर वह तरीका हम इस्तेमाल करेंगे तो वह अवैधानिक तरीका होगा। दो तरीके अब रह जाते हैं जिनमें एक तरीका तो है हृदय परिवर्तन का। लेकिन उसके लिये जनता जागरूक हो, लोगों की मनोभावना बदले और उसी को बदलने के लिये आज विनोबा जी घूम रहे हैं। वह चाहते हैं कि जमीन से जो आय होती है उस पर टैक्स लेने का अधिकार तो सरकार को है, लेकिन उसके लिये भी आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जमीन से जो आय होतीन है वह र बहुत बड़ा मसला है। वे लोग जिनके पास जमीन की सम्पत्ति बहुत बड़ी है उको विचार करना होगा कि वह सम्पत्ति का कुछ हिस्सा उन लोगों को दें जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास आज जमीन नहीं है उनकी तादाद ४५ फीसदी आदमियों की है और अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास जमीन है वह कुछ न कुछ हिस्सा अपने हिस्से में से छोड़ दें और दूसरा तरीका है कि उस पर कुछ कर लगायें और कर लगाकर उसका कुछ हिसा उन लोगों के पास आये।

हम तो उम्मीद करते है कि जो तरीका विनोबा जी ने आरम्भ किया है वह उत्तम है कि जिन के पास जमीन है वह अपनी सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ दें, वह स्वेच्छा का तरीका होगा और सही तरीका होगा क्योंकि उस हालत में वह जनता के उस धन के सच्चे ट्रस्टी होंगे। दूसरा तरीका जो कर का है वह भी तभी सही होता है जब लोगों की मनोभावना बदले, वातावरण बदले। उस वातावरण को बदलने के लिये और लोगों को आगाह करने के लिये आज विनोबा जी घूम रहे हैं। विनोबा जी के साथ घूमते हुये हम लोगों को सैकड़ों जमींदारों से मिलने का मौका मिला है और बहुत से जमींदारों से बातें हुई हैं कि आज देश की परिस्थिति को देखते हुये वह सम्पत्ति उनके पास इस तरह से बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। उसमें कुछ न कुछ हिस्सा लोगों को देना पड़ेगा। मुझे खुशी है और मैं सदन को बतलाता हूं कि हमारे बहुत से भाइयों ने उसमें हिस्सा लिया है। पीलीभीत के तीन परिवार ने साढ़े सात हजार एकड़ भूमि का दान किया है और इसी तरह से और बहुत से जमींदार हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं और उन्होंने अपने जमीन के मुआविजे को भी दान कर दिया है और जमींदारों को वर कम्पेंसेशन (प्रतिकर) सीधा नहीं देना पड़ेगा और स्टेट को वह बचत होगी और वह उसको नेशन बिल्डिंग वर्क्स (राष्ट्रनिर्माण कार्यों) में खर्च कर सकती है। तो आज जो विनोबा जीक रहे हैं वह यही है कि गांव के लोग भी समझें और बड़े बड़े तबके के लोग भी समझें।

इसके अलावा जो जमींदारों की बहुत सी जमीन परती पड़ी हुई है आज वह उसका भी बन्दोबस्त कर रहे हैं उसमें से भी कुछ फायदा उन्होंने उठाया है। जमींदारी अबालीशन में जो देरी हुई है उसके कारण भी जमींदारों को काफी फायदा मिल गया। बहुत से जमींदारों से मुझे बातें करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जमींदारी से हमें फायदा न होता लेकिन जमींदारी में देरी करके सरकार ने हमको मौका दिया और हमको आठगुना या दसगुना फायदा करने का मौका मिला। इसलिये उसमें से बहुत सा फायदा मिल चुका है और

वह इस समय दिलेरी से कुछ हिस्सा राष्ट्र के निर्माण में दें तो वह तरीका उचित और न्यायोचित होगा और इस प्रकार से वे राष्ट्र की मदद करेंगे। यह वातावरण एक सही वातावरण होगा और उस कार्य को पूर्ण करने में उनको अग्रसर होना चाहिये।

मैं बतलाना चाहता हूं कि विनोबा भावे जी के घूमने से इस समय जो सबसे बड़ा मौका हमारे सूबे को मिला है कि जमीन का समान वितरण करके जो आय हो उसका समान वितरण कर सकें उससे हमें लाभ उठाना चाहिये। इस आदरणीय सदन के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इससे लाभ उठायें और ज्यादा से ज्यादा उसमें दिलचस्पी लें ताकि वह जो वातावरण बन रहा है उसके बनने में सहायता मिले। जमीन के समान वितरण का यह एक सुनहरा मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में अगर एक लाख एकड़ जमीन हस्तान्तरित हो, ५ लाख एकड़ में से अगर एक लाख एकड़ जमीन उन लोगों को दे दी जाय जिनके पास नहीं है, तो जमीन की सम्पत्ति की आय से हमको लाभ उठाने का मौका अनायास ही मिल जाता है। दोनों तरह के वातावरण बना कर अगर हम कानून बनायेंगे तो ही कानून ठीक होगा और उसके बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिये मैं अपने इस सदन के माननीय सदस्यों से और उनसे जिनके पास बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का है, निवेदन करूंगा कि अमीर लोगों को गरीबों की सेवा करके लाभ उठाना चाहिये ताकि देश में समानता का वातावरण पैदा हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो सही कदम है इसमें सब लोग सहयोग दें क्योंकि आगे आने वाला सदन इस पर विचार करेगा क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं जो तबका चुन कर आया है वह तो हमारे उन गरीबों का तबका है जिसको इस पर विचार करना ही पड़ेगा और इस समय जो बहुत से लोग यहां बैठे हैं वह उस वक्त अपनी राय न दे सकेंगे, इसलिये आज जो लोग यहां हैं वह खुले दिल से अपनी राय दें और इसमें सहमत हो कर पास दें तो बड़ा श्रेयष्कर होगा।

माननीय अध्यक्ष--मेरे पास श्री वीरेन्द्र शाह ने एक संशोधन की सूचना भेजी है। उसमें वह यह कहते हैं कि प्रस्ताव की पहली पंक्ति में तथा अंतिम खंड की पहली पंक्ति में से "कृषि संबंधी भूमि" शब्द निकालकर "कृषि भूमि आय से अन्य सम्पत्ति" रख दिये जायं।

मैं इसको नियमित संशोधन नहीं मानता। इसलिये कि कृषि संबंधी भूमि तो है ही। यह प्रस्ताव तो उसकी मुखालिफत में है। माननीय सदस्य उसकी मुखालिफत कर सकते हैं। इस संशोधन की गुंजाइश नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस भवन के संमुख उपस्थित किया गया है उस के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने इस भवन के सदस्यों को यह बताने का कष्ट नहीं किया कि यह एस्टेट ड्यूटी आन एग्रिकल्चरल लैंड्स (कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क) क्या चीज होगी और किस प्रकार इसका निर्धारण होगा। मेरी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। संभव है कि इस सदन के माननीय सदस्य कुछ जानकारी रखते हों। भारतीय संविधान के अनुसार एस्टेट ड्यूटी आन एग्रीकल्चरल लैंड लगाने का ए और बी स्टेट को स्वतः अधिकार दिया गया है। इस स्थिति में इस भवन को पूर्ण अधिकार है कि वह इस के लिये कानून बनाये। साथ ही साथ कांस्टिट्यूशन (संविधान) में यह भी दिया गया है कि यह स्टेट चाहे तो प्रस्ताव द्वारा पार्लियामेंट को अधिकार दे कि वह इस विषय पर कोई ऐसा कानून बनाये।

श्रीमान् जी, मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की क्या आवश्यकता प्रतीत हुई। क्या पार्लियामेंट में इस संबंध में किसी प्रकार का विचार हो रहा है। दूसरी स्टेट्स में भी इसके संबंध में प्रस्ताव पास हुये हों। उन सूबों की भी जानकारी इस भवन को देना आवश्यक थी। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद २५२ में यह दिया हुआ है कि :--

"If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable had any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolution to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly."

[यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद् को अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा ।]

उसके आगे का पोर्शन (भाग) यह है :—

"and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State."

[तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात अपने विधान मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों में से प्रत्येक से इस लिये पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार करे, लागू होगा !]

तो हमको अगर कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है उसको स्वीकार कर लेने का अधिकार है। हर एक स्टेट की भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। पता नहीं वह किसी प्रकार से इस स्टेट की परिस्थितियों के अनुसार हो या न हो कि हमारे यहां किस प्रकार से एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) होनी चाहिये और दूसरी स्टेट्स में किस प्रकार से होनी चाहिये । प्रस्ताव में कहा गया है कि समानता के लिये ही पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसा कानून बना दे। जहां तक इस प्रस्ताव का उद्देश्य है मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं । लेकिन देखना यह है कि हम एक ऐसे कानून को बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे रहे हैं जिसके लिये कानून बनाने का अधिकार स्वतः हमको है । पार्लियामेंट कोई कानून पास करे और बाद में हम कोई प्रस्ताव पास करें यह हमारे अधिकार में है। लेकिन जो अधिकार हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं इस अधिकार को देने से इस भवन के माननीय सदस्यों को कुछ राय जाहिर करने का मौका नहीं मिलेगा। हम समझते हैं कि जब एस्टेट ड्यूटी के बनाने का अधिकार इस भवन के माननीय सदस्यों को है तो विचार विनिमय होना बहुत आवश्यक है। अगर उसकी रूपरेखा हमारे सामने होगी तो इस भवन के माननीय सदस्य उस पर विचार कर सकेंगे। जनता को भी उसकी जानकारी होगी और हम भी अपना उत्तरदायित्व समझेंगे। जिनके वोटों से चुनकर यहां आये थे उनके कष्टों और सहूलियत का ध्यान हम रखेंगे ! इस प्रकार से प्रस्ताव पास करके दे देने से हमें अपनी बातों को कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो यही समझता हूं कि यह प्रस्ताव जल्दी में लाया गया है। हमें आगे भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के लिये समय मिलेगा। अधिक जानकारी के बाद हम अपने विचारों को भवन के सामने अच्छी प्रकार से रख सकेंगे। इसलिये अगर इस प्रस्ताव को हम इस समय न रखें तो अच्छा हो। जब अगले चुने हुये मेम्बरान आयेंगे तो विशेषरूप से इस पर विचार हो सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर प्रस्ताव को पास करना ही है तो हमको विशेष रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिये कि ऐसी एस्टेट ड्यूटी जो एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि संबंधी भूमि) पर लगेगी उसकी क्या रूपरेखा होगी, उससे कितनी आमदनी का अन्दाजा है और किस काम में उसे लगाया जायगा और वह कैसे खर्च होगी। इन सब बातों की जानकारी के बिना इस प्रकार

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

से प्रस्ताव पास कर देने में एक उलझन मालूम होती है, एक उजलत की चीज भी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री गोविन्द सहाय—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस डिबेट (वाद-विवाद) में हिस्सा लेने का नहीं था। चूंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जो पार्टी पावर में (शासनारूढ़) हो उसकी ओर से अगर कोई अच्छा प्रपोजल आवे तो आपोजीशन का काम केवल यह नहीं होता है कि उस प्रपोजल को इसलिये मुखालिफत करे क्योंकि वह अपोजीशन की तरफ से आया है। मैं इस किस्म की चीजों को प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) चीजें समझता हूं और मुझे खुशी होती है कि हमारी पालिसी जो है वह उस तरफ जा रही है जिस पालिसी के जरिये हम जिस समाज की रचना करना चाहते हैं उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। मगर मुझे अफसोस है कि अपने उस प्रपोजल के पक्ष में जो दलीलें दी गयी हैं, जिस हालत में उसे रखा गया है, मेरा ख्याल है कि उससे कोई फायदा न स्टेट का होनेवाला है, न समाज का होने वाला है। वह सिर्फ एक आईडिआलाजिकल डिबेट (आदर्श संबंधी वाद-विवाद) के लिये यहां पर हमारे सामने पेश है। किसी अच्छे प्रोपोजल को लाने के लिये जरूरी है कि उसके अनुकूल पहले लोगों के दिल व दिमाग को तैयार करें। यह सही बात है कि इस स्टेट की हुकूमत को कई बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने का मौका हुआ है लेकिन यह भी सही है कि किसी प्रगतिशील हुकूमत को जितनी भी अच्छी बातें हैं, वहां उन सब के सब को नाकामयाब होने का ज्यादा मौका भी इस सूबे को मिला है। गवर्नमेंन्ट जितने भी प्रपोजल रख दे, लेकिन उसके पास करा देने से, या उसके कानून बनवा देने से या उसके लागू होने से कोई फायदा नहीं होता। किसी प्रपोजल को लाने के लिये यह जरूरी है कि आप लोगों को उसके लिये मानसिक तरीके से तैयार करें। आप किसी भी ऐसे प्रपोजल को कामयाब नहीं कर सकते है जिसको जनता का समर्थन न हो जैसा मैंने अभी कहा कि हमने जमींदारी खत्म करने का सवाल उठाया, हमने वेलफेयर स्टेट (जनहितकारी राज्य) बनाने की बात कही लेकिन जितनी बातें हमने कहीं उससे लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ है, समाज का कोई फायदा नहीं हुआ है। हमें तो समाज के अन्दर जागृति पैदा करनी है। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि प्रपोजल लाने के पहले आप लोगों के दिल व दिमाग को तैयार करें, उनके ख्याल को बदल दें समाज में एक ऐसी आबोहवा पैदा करें कि लोग अपने को समझें कि वे क्या हैं।

असल में लेजिस्लेचर जो होता है वह लोगों की आवाज की एक तस्वीर है। क्या लोग जो चाहते हैं उसका अक्स लेजिस्लेचर के जरिये होता है। लोग जो चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के हम नुमाइन्दे हैं लेकिन तो भी हम जो चाहते हैं वह लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जमींदारी एबालीशन को हमने शुरू में लिया, जमींदारी एबालीशन का मकसद था किसानों के अन्दर जमीन के प्रति मुहब्बत पैदा करना, लेकिन मेरा यकीन है कि हमारा वह मकसद पूरा नहीं हुआ। जो एबालिशन का कानून पास हुआ उसको वे अपने हित में नहीं समझते क्योंकि उनके अन्दर पब्लिक जज्बात का माद्दा जो पैदा होना चाहिये, वह नहीं है।

एक आनरेबिल मेम्बर ने गांधीवाद और कम्युनिज्म की चर्चा की। उन्होंने यह बतलाया कि चूंकि वे गांधी जी के उसूल को मानने वाले हैं और उस उसूल के मातहत काम करने को बाध्य हैं इसलिये वे गांधीवादी उसूल के मातहत काम कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि गांधी जी के उसूलों का अक्सर चर्चा किया जाता है कि इस मुल्क के अन्दर गांधी जी के उसूलों का बड़ा असर है। अगर इस बात को देखा जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि आज पब्लिक के अन्दर उनके विचार जीरो प्वाइंट पर (कुछ नहीं के बराबर) हैं—जब कि उनके नाम लेने वालों की हुकूमत है। इतना ही नहीं मैं समझता हूं कि गांधी जी के उसूलों को इस हुकूमत के जरिये और उनका नाम लेने वालों के जरिये जितना पैरों तले रौंदा जाता है उतना शायद कभी भी नहीं रौंदा गया है। जब तक किसी इज्म (वाद) को ठीक तौर पर समझा न जाय तब तक उसके विषय में बात करना फिजूल सा है।

वायलेंस और नान-वायलेंस (हिंसा तथा अहिंसा) का जहां तक ताल्लुक है कोई भी स्टेट अगर कोई कानून बनाती है तो वह नान-वायलेंट (अहिंसात्मक) तरीके से काम करने की जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करती है। अगर आपने जमींदारी को खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था तो उसके पीछे जो सैंक्शन (शक्ति) थी वह मिलिटरी और पुलिस की सेंक्शन थी। उस फोर्स (बल) के आधार पर आप उस काम को करना चाहते हैं तो यह नान-वायलेंस (अहिंसा) कहां हुआ। आप कम्यूनिजम की बात करते हैं और उसकी दुहाई देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं लेकिन मेरा यह ख्याल है कि रूस में कम्युनिस्ट रेवोलूशन हुआ है वहां बहुत कम वायलेंस हुई है। उन मुल्कों के अन्दर जहां पर आप नान-वायलेंस से काम करने की बात करते हैं आज नान-वायलेंस के नाम की आड़ में ज्यादा वायलेंस हो रहा है। आज नान-वायलेंस का असर उतना भी नहीं है जितना पहिले था। खास कर कांग्रेस पार्टी के अन्दर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसको पूरी तरह से मानते हों। मेरा ख्याल है कि ७०,७५ फीसदी लोग पहले इस तरह के थे जो नान-वायलेंस को नहीं मानते थे और आज तो उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। इस लिये मेरा यह कहना है कि आप इन बातों को अगर न उठायें तो ज्यादा अच्छा है। गांधी जी का नाम लेकर या कम्युनिस्ट का भूत दिखा कर कोई बात करना किसी तरह से भी फायदेमन्द नहीं हो सकता। जो हालत हैं जो आबोहवा है उसको देखकर और पूरी तरह से समझ कर अगर आप कोई कानून बनायें तो ज्यादा मुनासिब और फायदेमन्द होगा। आप सिर्फ उतने कानून बनायें जितने की जरूरत है, जितना जनता चाहती हो और जितने की मांग हो तब आप ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। आज आप कानून बनाते हैं लोग उसको ओबे (पालन) नहीं करते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।

आज मैं देखता हूं हालांकि कुछ लोगों को यह बात सुनकर गुस्सा भी आता है लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं और मुझे इसकी वाकफियत है कि जितनी कानून की बेइज्जती आज हो रही है, जितना कानून आज तोड़ा जाता है उतना पिछले जमाने में कभी भी नहीं तोड़ा गया है। आज सिविल पापुलेशन बराबर कानून को तोड़ती है तो फिर इस तरह के कानून यहां पर पास करने से क्या खिदमत पब्लिक की हो सकती है। आप कानून बनाते जायं और फिर कहते रहें कि पब्लिक इसके साथ है और वह इसको मानती है तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस वास्ते इस तरह के बिल पेश करते हुये इस तरह की लम्बी-लम्बी बात करना फिजूल है और इन बातों की चर्चा करना कोई फायदेमंद साबित नहीं हो सकता चाहे आप कितने ही बिल पास कर दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको शौक ही है तो उतना ही कानून पास कीजिये जितने पर अमल हो सके और जिससे पब्लिक की भी कुछ खिदमत हो सके। आम आदमी की जिन्दगी का जिससे ताल्लुक हो और उसको जिससे कोई फायदा हो ऐसी बात आप करें तो हम लोग आपके साथ हैं। महज कोई बात ऊंची कहना सिर्फ इस वजह से कि इस सूबे से ऊंची बात होनी चाहिये और उसका नतीजा कुछ न निकले तो इससे क्या फायदा है।

अभी पिछले जमाने में हमने देखा कि आपने यह कैलकुलेशन (संगणना) किया कि हमारा काश्तकार हमको करोड़ों रूपया देगा लेकिन वह कैलकुलेशन गलत निकला। जो यकीन था वह फेल हुआ तो डेमोक्रेटिक तरीका तो यह था कि आप रिजाइन कर देते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। डेमोक्रेटिक तरीका दूसरा यह हो सकता है कि आप यहां आकर कहते कि यह ख्याल गलत निकला लिहाजा कोई दूसरा रास्ता उस दिक्कत के लिये हम निकालना चाहते हैं। मगर आपने इस पर भी कोई ख्याल नहीं किया। आप तो बड़ी-बड़ी बातें करना चाहते हैं और दुनियां को यह दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े प्रगतिशील हैं। बड़ी बात कहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम कोई अमलीतौर पर सही कदम आगे न बढ़ायें और न तब तक किसी कानून की रिस्पैक्ट (आदर) ही हो सकती है। इस लिये मैं आपसे बड़े अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि अगर इस रेजोल्यूशन का मकसद सिर्फ इतना ही

[श्री गोविन्द सहाय,]

है कि आपको शौक है कुछ बड़ी-बड़ी बात का और अच्छी बात कहने का तब तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ प्रगतिशील बनाना चाहते हैं और खिदमत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। यहां पर जो हम कानून बनाते हैं वह पब्लिक की दिल दिमाग की आवाज होती है। इसका किसी तरह से वास्ता गांधीवाद या कम्युनिज्म से नहीं हो सकता है यह तो आप अपने आपको कायम रखने के लिये इस तरह की बातें कहते हैं।

मैं कह सकता हूं कि उन मुल्कों में ज्यादा काम होता है जहां पर बहुत कम ऊंची-ऊंची बातें कही जाती हैं बनिस्बत उन मुल्कों के कि जहां पर लम्बी लम्बी बातें कही जाती हों। जो प्रगतिशील स्टेट हैं वहां इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं। आप देखिये कि इधर २,३ साल के अन्दर चीन ने जितनी तरक्की की है वह एक आश्चर्यजनक तरक्की है लोगों के दिमाग में लोगों के अखलाक में यह चीज होनी चाहिये और एक इस तरह का जोश होना चाहिये और लोगों को इस बात का एक सही अहसास होना चाहिये कि यह कानून हमारा है और यह एक सिस्टम हमारा है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि मैं कोई किसी तरह के प्रगतिशील प्रोप्रोजल्स के मुखालिफ नहीं हूं बल्कि मैं उस जहनियत के मुखालिफ हूं कि जिसके मातहत आप एक शौकिया तरीके पर ऐसे प्रोपोजल रखते हैं जिनसे कोई फायदा स्टेट को या समाज को नहीं होता बल्कि जिससे एक तसादुम बढ़ता है, खींचातानी होती है, एक कंफ्रास (गड़बड़) फैलता है एक परेशानी होती है और सब की दिक्कत बढ़ती है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक प्रस्ताव के उसूल का सवाल है मेरी समझ से विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी उसको माना है लेकिन कुछ आपत्तियां की गई हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से वह आपत्तियां की गई हैं। प्रजा पार्टी के नेता साहब ने अभी जो यहां तकरीर की थी उन्होंने बताया कि चूंकि जमींदारी अबालिशन का प्रस्ताव हम पास कर चुके हैं, कृषि आयकर हम लगा चुके हैं इस वजह से इस नये कर की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि नया हाउस इस पर विचार करे। अभी जो हमारे माननीय मित्र ने व्याख्यान दिया उन्होंने जाने किस तरह की कौन सी बात की कि उसूल तो यह सही है लेकिन इस पर अमल होगा या नहीं इस पर उनको शक है। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह जो बिल है इस में हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमारे कानून जो संसद बनाती है उस में उस को कृषि संबंधी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है वह अधिकार इसके द्वारा हम उनको दे रहे हैं और वह इस लिये ताकि यह टैक्स सब जायदाद वालों पर यकसां लगे। उसपर विचार करने वाले जो सदस्यगण वहां पर होंगे वह नये वोट से चुने हुये नये मेम्बर होंगे और पुराने लोग नहीं होंगे। उन को भी जनता की बात का ख्याल होगा कि जनता के लोग यहां क्या चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। या तो वह साफ इस की मुखालिफत करें कि हम इस को नहीं चाहते कि सब पर यकसां टैक्स लगे और अगर चाहते हैं कि सब सम्पत्तिवालों पर यकसां टैक्स लगे और भूमि से सम्बन्धित लोगों पर भी लगे तो मैं नहीं समझता कि विरोध कहां रह जाता है।

जहां तक जमींदारी अबालिशन का सवाल है, हमने जमींदारी अबालिशन का कानून बनाया और उससे तमाम जायदाद की मिलकियत खत्म हुई लेकिन आमदनी के जरिये लोगों के दूसरे भी पैदा हो गये जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने जमींनें ज्यादा कर लीं या पहले से उन की ज्यादा जमींनें हैं। सवाल यह है कि अगर हमें गवर्नमेंट का खर्च चलाना है, अगर हम अपनी पंचवर्षीय योजना को जिसे हमने मंजूर कर लिया है कार्यान्वित करना चाहते हैं तो उसके लिये पैसा भी आना चाहिये वह कहां से आयगा? वह उन्हीं से आयेगा कि जिनके पास पैसा है। कृषि आय कर लगाया गया है इसके लिये इसकी जरूरत नहीं है।

तो फिर यह कहां की आमदनी वालों पर लगाया जायगा ? ज्यादातर जायदाद वाले कृषि से से ही संबन्ध रखते हैं।

यह कहना कि यह सब पर पड़ेगा यह गलत है क्योंकि कोई न कोई मियार अवश्य कायम किया जायेगा और उसमें ऐसे लोगों को अवश्य छोड़ दिया जायगा जिनकी आमदनी इतनी कम है कि वह अपनी ठीक तरह से गुजर नहीं कर सकेंगे। तो छोटे लोग तो इस ड्यूटी में आ ही नहीं सकते।

अभी मेरे माननीय मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि यह कार्यान्वित भी होगा या नहीं, यह भी पता नहीं है। यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि संसद जिस कानून को पास कर देगी वह तो लगेगा ही। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून हमने पास किये हैं उनसे हमारी जनता का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उन्होंने एक जमींदारी अबालिशन की मिसाल दी और यह कहा कि भूमिधर उतने नहीं बन सके जितनी कि उम्मीद थी। लेकिन मैं उनसे कहूं कि यह क्या कम हुआ है कि कानून बनने से पहले ही ३० करोड़ रुपया जमा हो गया जो सारी चीजों को देखते हुये एक बड़ी रकम है और भूमिधर बनने अभी बन्द भी तो नहीं हुये हैं। उस कानून में मौजूद है कि लोग जब चाहेंगे भूमिधर बन सकेंगे। तो क्या उनका मंशा यह था कि यह जमींदारी अबालिशन का कानून बनना ही नहीं चाहिये था या अगर बनना चाहिये था तो किसी दूसरे तरीके से बनना चाहिये था ? उन्होंने कहा कि इसके लिये एक साईकालोजी (मनोवृत्ति) तैयार की जाय। उन्होंने इ लेक्शन लड़ा है। उनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला होगा जो यह कहता हो कि जो आदमी टैक्स दे सकता है उस पर वह न लगाया जाय, जो ज्यादा जायदाद वाले हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय। ये दलीलें जो दी गई हैं वे ऐसी हैं कि उनसे खामखाह मुखालिफत करके कुछ लोगों की हमदर्दी लेना है और मैं समझता हूं कि जनता से उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीमान, जहां तक उसूल का सवाल है मैं समझता हूं कि यदि हमें इस मुल्क को ठीक तरीके से तरक्की करनी है तो ऐसे कानून बनाने होंगे जिनसे आर्थिक समानता आवे। जो लोग ज्यादा जमीन रखते हैं और उसको काम में नहीं ला पा रहे हैं लेकिन केवल इसलिये उसे अपने कब्जे में रखे हुये हैं कि उनकी हविश पूरी होती रहे, ऐसे लोगों पर जब टैक्स लगेगा और आर्थिक दृष्टि से वह देखेंगे कि अच्छा हो यदि वे फालतू जमीन को दूसरों को दे दें तो वे जरूर उस जमीन को दूसरों को देंगे। इस तरह से वह जमीन ऐसे लोगों को मिल सकेगी जो उसे जोत बो कर पैदावार बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से तो हमारे मुल्क की पैदावार बढ़ेगी, न कि घटेगी जैसा कि कुछ लोगों ने कहा। जब जमीन ऐसे लोगों के पास जायगी जो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें तो लाजमी बात है, उपज में वृद्धि होगी।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जमींदारी अबालिशन (उन्मूलन) कानून अगर हमने यहां पास किया है तो उसके साथ-साथ हमें लाजिम है कि हम ही लोग उसके आगे की व्यवस्था को सोचें। यह कहना कि आने वाला हाउस आकर करे, कोई बड़ी तब्दीली उसमें नहीं हो जायगी। हमने जमींदारी अबालिशन कानून पास किया। अब हमको उससे संबधित प्रश्न जैसे जमींन का बटवारा जमींन से जिनको ज्यादा आमदनी है उनके ऊपर किस तरह का टैक्स लगाया जाय, आदि सवाल भी हल करना चाहिये। खाली एक जमींदारी अबालिशन (उन्मूलन) कानून पास कर देने से ही उससे संबधित सारे प्रश्न हल नहीं हो जाते। वह तो एक शुरुआत है एक नई व्यवस्था लाने की। तो जब नई व्यवस्था आपको लानी है तो आपको सोचना होगा कि जमीन का बटवारा कैसे किया जाय। आचार्य विनोबा भावे दौरा कर रहे हैं और जमीन मांग रहे हैं लेकिन दान देने वाले थोड़े ही लोग निकलते हैं। भले आदमी तो सब हैं लेकिन कानून की जरूरत इस लिये होती है कि जो लोग उस दायरे में नहीं आ रहे हैं और समाज का यह तकाजा है कि जल्दी से जल्दी यह काम किया जाय, इसमें समानता लाई जाय तो लोगों को मजबूर करने के लिये कानून बनाने की जरूरत होती है।

[श्री त्रिभुवन शर्मा]

मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा ऐक्ट होगा जिसके द्वारा जिन्हें ज्यादा जायदाद रखने की हविस है वह कुछ कम हो जाय। फिर जिनके पास पैसा है वे सरकार को दें जिसके मानी यह होते हैं कि सबके फायदे के लिये वे अपनी आमदनी में से अपना हिस्सा देते हैं। यह हम सब का मंशा है कि जिनके पास पैसा है वे उसको सार्वजनिक हित के लिये खर्च करें। तो इस बिल में हमने जो प्रस्ताव रखा है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका विरोध जो यहां किया गया है, वह ऐसा बुनियादी विरोध हो कि जिससे यह कहा जा सके कि इस वक्त यह मौजूं नहीं है। यह कहना जैसा कि एक मेरे मित्र ने कहा कि संसद् को भी विधान के द्वारा यह अख्तियार है कि वह एक कानून बना दे और उसके बाद हम उस पर वाद-विवाद करके फिर लायेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर संसद का कोई ऐक्ट बन जायगा तो उसको अगर हम अपने यहां लगायेंगे तो उसे वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे पास होगा। तो अगर हम पहले से प्रस्ताव पास कर के भेज देते हैं तो यह सदन के गौरव की बात है कि जिस तरह से हमने और प्रगतिशील काम किये हैं वैसे ही यह भी है।

मैं सिर्फ एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि बातें चाहे जैसी कही गई हों, लेकिन जहां तक हमारे इस सदन का ताल्लुक है इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि हमने इन पांच सालों के अन्दर काफी काम किया और काफी कानून बनाये और जनता में काफी जागृति आई। हमने पंचायत राज ऐक्ट बनाया उसका काम हुआ, जमींदारी अबालिशन का काम हुआ, प्रान्तीय रक्षा दल का काम हुआ। उसके बाद उनका यह कहना कि जनता की हालत में परिवर्तन नहीं हुआ या जो कानून बने उनसे जनता ने कोई फायदा नहीं उठाया यह गलत है, जनता में क्या परिवर्तन हुआ यह तो गांव का रहने वाला जानता है। किसान इतना बदल गया है, इतनी उसमें तबदीली आ गई है कि आज हर एक मामूली आदमी जो गांवों में रहता है समझता है कि उसके कुछ अधिकार हैं, उसके कुछ हक हैं और अगर जमींदार या और कोई साहब उसके साथ ज्यादती करते हैं तो उसकी वह मुखालिफत करता है और ऊपर तक अपनी बात ले जा सकता है। तो यह कहना कि जो कानून हमने पास किया उससे जनता का नुकसान रहा, मैं समझता हूं कि यह सही चीज नहीं है। उससे जनता को फायदा हुआ और उसी का नतीजा है कि आज जनता ने कांग्रेस में फिर विश्वास प्रकट किया है और सारे देश में, इसी अपने प्रदेश में, कांग्रेस को सबसे बड़ा बहुमत मिला है और वह इस बात का सबूत है कि हमारे काम को जनता ने सराहा, जनता ने उसको दाद दी और उन कामों की वजह से ही कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ।

तो ऐसी चीजों से यह बात साबित नहीं होती कि हम कोरी बातें कर रहे हैं या देश को कम्युनिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी आदमी हमारे यहां रिटर्न नहीं हुआ (चुना नहीं गया)। कम्युनिज्म से इस प्रदेश को कोई डर नहीं है। इस वजह से नहीं है कि कम्युनिज्म जिन चीजों से पैदा होता है उनको हम खत्म कर रहे हैं। हम जमींदार क्लास को, साहूकार क्लास को उस तरह से नहीं खत्म करना चाहते हैं जिस तरह से कम्युनिस्ट खत्म करना चाहते हैं। हम जमींदार क्लास में साहूकार क्लास में जो मनोवृत्ति है कि जनता से ज्यादा से ज्यादा धन खींचा जाय उस मनोवृत्ति को खत्म करना चाहते हैं और उनके सहयोग से ही खत्म करना चाहते हैं और उसके लिये हमने कानून बनाये। हमने एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच के फर्क को मिटाने की कोशिश की है और वह मिटाया है तो इस तरह से यह चीज कि हमने कोरी बातें कीं या कम्युनिज्म का डर फैलाया है गलत है। इस तरह से कहना मेरे ख्याल में सही नहीं है और बात तो उनकी वाकई उलटी है क्यों कि जो लोग इसके विरोध में हैं सीधे तरीके से या इनडाइरेक्ट तरीके से वह भी यह मानेंगे कि जनता का विश्वास इस गवर्नमेंट में और उस पार्टी में जो गवर्नमेंट को चला रही है नहीं खोया है और यह प्रस्ताव जो हम पास कर रहे हैं उसके बारे में यह अन्देशा न करना चाहिये कि यह एक लफ्जी चीज रह जायगी क्योंकि इससे तो हम एक ऐसे क्लास से जिसके पास ज्यादा पैसा है उम्मीद करते हैं वह हमें पैसा देंगे और उन

पैसों से हम जनता की भलाई के कामों को, उन बड़े-बड़े कामों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की के कामों को जिनके लिये हमने योजनाये बना रखी हैं, पंचवर्षीय योजना में जिनका जिक्र है लगायें। तो इस प्रस्ताव के पास होने से बजाय नुकसान के फायदा होगा, हमारे प्रदेश को ..... और हमारे मुल्क को फायदा होगा।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान .....

माननीय अध्यक्ष--आपके तकरीर जारी करने से पहले मैं आपके इस संशोधनको बता दूं। माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है कि खंड १ की पंक्ति १ के शब्द "कृषि संबंधी भूमि" तथा अन्तिम खंड की पहिली पंक्ति के "कृषि संबंधी भूमि" के बाद शब्द "तथा इंडस्ट्री" और बढ़ा दिया जाय।

तो माननीय सदस्य देखेंगे कि यह भूमि के सम्बन्ध में है यानी यह शुल्क जो है वह भूमि के संबंध में है। यह इस्टेट ड्यूटी है, तो इंडस्ट्री इस माने में कोई इस्टेट नहीं है। इसलिये भी इसको मंजूर नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा इस प्रस्ताव की जो सीमा यानी स्कोप है उसके अन्दर भी नहीं आता। इसलिये मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान् स्पीकर महोदय, जो रेजोल्यूशन हम लोगों के सामने हैं इस पर जब गौर किया जाय तो पहली बात इस बात के गौर करने में यह देखने की जरूरत है कि आया हमको इस किस्म के कुछ टैक्सेज (कर) लगाने की जरूरत है या नहीं। वाक्या यह है कि खाली लैंड्स (भूमि) के मुताल्लिक ही टैक्सेज (कर) नहीं होना चाहिये बल्कि इंडस्ट्रीज (उद्योग) के मुताल्लिक भी होना चाहिये। लेकिन अफसोस है कि जो रेजोल्यूशन (संकल्प) है वह उस हद तक बड़ा नहीं किया गया है जिससे कि इंडस्ट्रयलिस्ट्स (उद्योगपति) भी उस स्कोप (दायरे) में आ जायं। मुल्क को चूंकि आगे बढ़ाने की जरूरत है और चूंकि इस सिलसिले में बहुत काम करने की जरूरत है इसलिये गवर्नमेंट को बहुत रुपये की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तक जो कुछ काम हुआ है उससे और बहुत ज्यादा होने की जरूरत है और अगर वह काम जो कि होने की जरूरत है किया जायगा तो वह बगैर रुपये के नहीं हो सकता। यह बात कि वह रुपया कहां से आये यह गौर तलब है। मौजूदा रेजोल्यूशन में उस रुपये के मुताल्लिक यह मुनासिब समझा गया है कि सिर्फ जमींन ही के मातहत उसको रखा जाय। मैं इस बात को जहां अच्छी नजर से देखता हूं कि ऐसा टैक्स लगाया जाय वहां और लोगों से भी जिनसे ऐसे किस्म के टैक्सेज वसूल हो सकते हैं उनसे भी एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) लेना जरूरी समझता हूं। अगर सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो कि जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं ऐसे टेक्सेज लगाये जायेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक रुखी तरीके के ऊपर यह टेक्स लगा, यानी यह कि और लोग जो इसी काबिल हैं उनके ऊपर नहीं लगा। सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो कि इस वक्त जमींदारी अबालिशन के मातहत काफी दबाये जा चुके हैं और एग्रीकल्चरल टैक्स के मुताल्लिक भी काफी दबाये जा चुके हैं इन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जायगा। इस बात को सामने रखते हुये कि गवर्नमेंट को रुपये की जरूरत है और इस बात को भी सामने रखते हुये कि जमींदारों से बहुत काफी आमदनी होती थी और होती चली आई है, इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि गवर्नमेंट का यह रेजोल्यूशन सही है मगर मैं यह सोचता हूं कि गवर्नमेंट को इस बात के मुताल्लिक जरूर गौर करना चाहिये था कि क्यों इंडस्ट्रयलिस्ट्स (उद्योगपति) और ऐसे-ऐसे इंडस्ट्रयलिट्स जब कि वाकई में बहुत रुपया रखते हैं और दे सकते हैं उनको छोड़ दिया जाय। अगर आप इस बात को विलायत में देखिये तो विलायत में यह नहीं कि सिर्फ जमीन के ही मुताल्लिक ऐसे टैक्स हों।

माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—मेरी समझ में फिलिप्स साहब को कुछ ग़लतफ़हमी है। कोई यह मतलब नहीं कि एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि सम्बन्धी भूमि) में हो यह लगे। एग्रीकल्चरल लैंड में लगाने के लिये पार्लियामेंट को अख्तियार देना पड़ता है मगर इंडिस्ट्रीज के लिये पार्लियामेंट को खुद अख्तियार है। पार्लियामेंट में एक बिल बना था, पेश हुआ था और इंडस्ट्रीज की सब चीजें उसमें शामिल थीं। उसकी सेलेक्ट कमेटी ने यह प्रपोजल किया कि उसमें एग्रिकल्चरल लैंड भी शामिल हो ताकि कम्प्रहेंसिवली (व्यापक रूप से) बिल बने। इंडस्ट्री छोड़ने का इरादा नहीं है।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स—श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री के इस सुझाव के बाद मुझे यह बात मालूम हुई, वरना मैं उससे वाकिफ नहीं था और मैं ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल में एक नई बात मालूम हुई जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम थी। मैं इस बात को सफ़ाई के साथ कहता हूं कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ उसको मुझे देखने का मौका नहीं मिला, अगर मुख्यमंत्री को मिला तो बड़ी अच्छी बात है। अब इन सब चीजों को सामने रखते हुए जो कि पार्लियामेंट के सामने रही है इस बात की जरूर जरूरत है कि हम और रुपया हासिल करें जिससे कि हम आगे तरक्की कर सकें और यह टैक्स उसी टैक्स के साथ शामिल होकर के वसूल हो।

अब मैं इस बात के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं कि आया यह टैक्स जो यहां लगाया जा सकता है और वसूल हो सकता है यह पार्लियामेंट के मातहत कर दिया जाय या न किया जाय। मैं इस बात को समझता हूं कि अगर यह रेजोल्यूशन यहां जिस तरीके से पेश है, पास हो गया तो हम अपने अख्तियारात को पार्लियामेंट को दे देंगे। अगर मैं यह गलत कह रहा हूं तो जो साहब पीछे से कह रहे हैं कि हां गलत समझ रहे हैं तो वह समझा देंगे। मैं समझता हूं कि इस रेजोल्यूशन से जिस शक्ल में हम पार्लियामेंट को अख्तियार दे रहे हैं उस शक्ल से रोक लेना चाहिये, बल्कि यह होना चाहिये कि आपके सूबे को खुद अख्तियार होना चाहिये ऐसा टैक्स लगाने का। बल्कि लगाने से पेश्तर, जैसा कि मौर्य जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ऐसा एक रटेटमेंट बनाना चाहिये कि उससे कितनी आमदनी होगी और किस तरह से लागू होगा उसका पूरा हाल सामने आना चाहिये था। तभी निहायत उमदगी के साथ इसके मुताल्लिक़ ग़ौर हो सकता है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर हमारे अख्तियारात पार्लियामेंट को चले जायंगे उसके बाद हमें दिक्कतें होंगी और वह ऐसी दिक्कतें और तकलीफें होंगी जिनको हम नहीं हल कर सकेंगे अगर हमने इन अख्तियारात को पार्लियामेंट को दे दिया।

श्री खूब सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सिलसिले में जो व्याख्यान इस सदन में हुए हैं वह इसके स्कोप से कहीं आगे बढ़ गये। कुछ साहबान ने विनोवा भावे के कार्यक्रम को, उनकी नीति को यहां पर बतलाया, कुछ ने गांधियन फिलासोफी और कम्युनिस्ट फिलासोफी की बातों को बतलाया और डेमोक्रेसी के ऊपर डिक्टेटरशिप को तरजीह दी। कुछ ने और दूसरी बातों की तरफ इस हाउस की तवज्जह दिलायी। लेकिन यह एक सीधा सादा प्रस्ताव है और वह यह है कि आया कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर कोई इस्टेट ड्यूटी लगायी जाय या न लगायी जाय, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वह इस हाउस में लगायी जाय या हमें इस हक को पार्लियामेंट को सिपुर्द कर देना चाहिए। यह दो बातें हैं इस प्रस्ताव के मुताल्लिक। दोनों पर हमें ग़ौर करना है।

मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मुझे ही नहीं मेरा ख्याल है इस सदन के करीब-करीब सभी सदस्यों को एक तरह से रिलीफ पहुंचा। क्योंकि शुरू में जिस शक्ल से यह प्रस्ताव हमारे सामने आया उसमें कई किस्म के शुबहे पैदा होते थे और वह यह कि इस किस्म का टैक्स केवल कृषि संबंधी सम्पत्ति पर ही लगाया जाय और दूसरी किस्म की

जो सम्पत्तियां है उन सम्पत्तियों पर इस किस्म की कोई योजना है या नहीं है कि उन पर भी कोई टैक्स लगाया जा रहा है या नहीं । हमें यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर ही लगाने का सवाल नहीं है बल्कि और जो दूसरी किस्म की सम्पत्तियां हैं उन सब पर केन्द्र में एक इस्टेट ड्यूटी लगाये जाने का सवाल दरपेश है और चूंकि एक कानून वहां पर बनाया जा रहा है उस सिलसिले में लोगों की आय को आंकने के वास्ते जिसमें हर किस्म की आय शामिल हो न सिर्फ इंडस्ट्रियल आय बल्कि इसके जरिये से जो भी आय होती है वह भी शामिल हो जाय और एक आय का रिश्ता दूसरी आय से निभ जाय। इस नुक्तेनजर से कि जो हक हमारा है कि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सिर्फ एस्टेट लेजिस्लचर ही कोई कानून बना सकता है । हम इस हक को अपनी पार्लियामेंट को दे रहे हैं । हमें बड़ी खुशी होती कि अगर हम अपने अधिकार को स्वयं काम में लाते। लकिन चूंकि जरूरत पैदा हो गयी है और वह जरूरत ऐसी है जो कि माकूल है इसलिये हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं । हमें इसमें कुछ ज्यादा पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं।

इससे हमारे सूबे का भी फायदा हो जायगा और वह यह कि जिस वक्त हमने जमींदारी अबालिशन कानून पास किया था उस वक्त हमें यह मालूम नहीं था कि इन चीजों के रेट्स में इतनी जल्दी कमी हो जायगी, और उनका असर सूबे की आमदनी पर क्या पड़ेगा। अब चूंकि रेट्स आम तौर से नीचे गिर रहे हैं, तो फिर हमारे जो बहुत से इस किस्म के कानून हैं सेल्स टैक्स वगैरह उनकी आमदनी भी शायद कम होगी और इस तरह से हमारे सूबे की आमदनी में भी कमी हो सकती है और मेरे ख्याल से उस हद तक जरूर होगी । इस तरह से हमारी जो जिम्मेदारी जमींदारी अबालिशन में जमींदारों को मुआविजा देने की है, जमींदारी अबालिशन कानून लागू होने पर मुआविजा तो उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर जमींदारियों पर और कृषि संबंधी सम्पत्ति पर जिसमें जमींदारी भी शामिल है अगर उस पर कोई ड्यूटी लगाई जाती है तो एक असर जरूर होगा कि कम्पेंसेशन का अमाउंट जरूर कम हो जायगा । मुझे संतोष है कि इस तरह से हमें कम्पेंसेशन देने के मामले में कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जायगा और जिसका जितना हक है वह मुनासिब तरीके से उतना ही पायगा ज्यादा नहीं पा सकेगा । एक और रिलीफ आम लोगों को हो सकती है इस प्रस्ताव के पास होने से और ऐसा कानून बन जाने से, वह यह है कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा जमीन या बड़े बड़े फार्म रखे हुये हैं अगर वह समझेंगे कि उन जमीनों से वह इतनी आमदनी कर सकते हैं कि वह एस्टेट ड्यूटी और कृषि आय कर वगैरा दे सकते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर वह अच्छा इंतजाम नहीं कर सकेंगे तो फिर उनको ज्यादा जमीन छोड़ना पड़ेगी और बड़े बड़े फार्म्स छोड़ना पड़ेंगे और ऐसे भाइयों को जिनके पास थोड़ी जमीन है और ऐसे मजदूरों को जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, एक मौका मिल सकता है कि उनको भी जमीन मिले । क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है कि महज़ हविस के वास्ते बड़े बड़े फार्म्स और जमीनें क़ब्जे में रखी जायं। यह दो फायदे इस कानून से होते हैं।

जहां तक पैसे की जरूरत का सवाल है वह तो है ही। हम अपने सूबे को देखते हैं कि सन् ५२-५३ ई० के बजट में दो तीन जिलों को छोड़ कर और जिलों में सड़कों के लिये पैसा नहीं है। हमारा दिल चाहता है कि हर सड़क के लिए पैसा हो और काम हो लेकिन हमारी आमदनी थोड़ी है इसलिये सड़कों के लिये पैसा नहीं रखा गया है। फिर आमदनी बढ़ाने की बात है, पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का सवाल है और बड़े बड़े महत्व और विकास की योजनायें हमारे सामने हैं। उनको सुलझाने के वास्ते हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही । इस लिये अगर हमने यह तरीक़ा निकाला है कि जितने भी सम्पत्ति है

[श्री खूबसिंह]

मिनजुम्ला कृषि संबंधी सम्पत्ति जिन पर एस्टेट डयूटी लगाई जा सकती है मेरेख़ याल में अच्छा है और मैं इसका खैर मकदम करता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि इस सदन की तरफ से मैं अपनी भाषा के जरिये से मरकज के यानी पार्लियामेंट के सदस्यों तक यह बात पहुंचा दूं कि जिस वक्त एस्टेट डयूटी लगाने का काम करें उस वक्त उनके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिये कि जो थोड़ी सम्पत्ति वाले आदमी हैं उन पर यह नहीं लगनी चाहिये। सिर्फ बड़ी सम्पत्ति वालों पर ही यह लगनी चाहिये। इस प्रश्न को जब हम इस सदन से प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इसमें इसको नहीं उठाया है, यह प्रश्न उठाना चाहिये था कि छोटे लोगों को इस बात का भय नहीं होना चाहिये कि उनके ऊपर भी इस्टेट डयूटी लग जायगी बल्कि संतोष होना चाहिये कि छोटे काश्तकारों पर छोटी सम्पत्ति वालों पर नही लगेगी, केवल उन लोगों पर ही लगेगी जो अदा कर सकते हैं और जो बड़ी बड़ी सम्पत्ति वाले आदमी हैं उन पर ही लगेगी। इन अल्फाज के साथ मैं, इस तरह से खुश हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि जब दूसरी उन चीजों पर भी इस्टेट डयूटी लगाने का प्रश्न है न सिर्फ खेती सम्बन्धी सम्पत्ति पर ही बल्कि दूसरी चीजें भी शामिल हैं और सब वर्ग के लोगों पर एक उसूल के मातहत लगाने का सवाल है। सिर्फ खेती करने वाले आदमियों तक ही यह बात महदूद नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद रज़ा खां—जनाबवाला, मैंने इस रेजोल्यूशन (संकल्प)पर बहुत काफी ग़ौर किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आज दुनिया के अन्दर इस उसूल को तसलीम कर लिया गया है कि सूबेजाती आजादी और अख्तियारात को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। मगर इस रिजोल्यूशन से सूरत यह मालूम होती है कि आजादी खत्म की जा रही है। कांस्टिट्यूशन (संविधान) के मुताबिक तो ठीक है लेकिन हम अपनी आजादी का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फेंक रहे हैं। मेरे ख्याल में तो टैक्सों में जैसे तम्बाकू पर टैक्स है वह सूबेजाती टैक्स होना चाहिये था लेकिन वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, वह टैक्स एक हद तक बहुत सख्त है। एक पौंड तम्बाकू पर ६ आने टैक्स पड़ता है। मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया जाता है कि वह टैक्स लगाये तो मेरे ख्याल में वह ऐसा टैक्स होगा जैसे तम्बाकू का टैक्स है। तम्बाकू के मुताल्लिक़ मैं अर्ज करूं कि इब्तिदा में जब तम्बाकू फरोख्त किया जाता है तो उसका निर्ख ३० रुपये मन होता है लेकिन उस पर डयूटी साढ़े अड़तीस रुपये मन की पड़ती है। अगर डयूटी के अलावा वह बेंचा जाता है तब भी ८,१० रुपये के तकरीबन किसान को नुक़सान होता है। मेरे ख्याल में इस किस्म के टैक्सेज चाहे वह एग्रिकल्चरल टैक्स हो या कोई दूसरा टैक्स हो सूबे की गवर्नमेंट लगाये तो वह सूबे की हालत को जानती है उसीके मुताबिक टैक्स लगायेगी वरना तम्बाकू का सा टैक्स यह भी होगा।

दूसरी बात यह है कि अगर इस टैक्स को जमा करके जमींदारी अबोलीशन फंड के मुताल्लिक़ फायदा उठाना है तब भी मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तो हमारा फर्ज है हम जमींदारी खत्म करें और रुपये को मुहइया करें। यह ठीक है कि जमींदारों को मुआविजा मिलना चाहिये। मगर इस वक्त तक हम इस मसले को हल नहीं कर पाये। अगर कोई इस किस्म का टैक्स लगाना है तो मेरे ख्याल में वह सरकारी दबाव से नहीं बल्कि काश्तकारों को समझा कर लगाया जाय तो काफी रुपया वसूल हो सकता है। लेकिन बाज गलतियां ऐसी हैं जैसे हमने काश्तकारों को अख्तियार नहीं दिया है कि वह अपनी आराजी को शिकमी पर उठा सकें पहले की तरह शिकमी पर उठा सकते तो यकीनन यह रुपया कभी का वसूल हो गया होता। इलेक्शन हो चुके हैं। कांग्रेस के ऊपर मुल्क ने ऐतमाद कर लिया है। हमारा फर्ज है कि इस वक्त हम किसी की मुखालिफत की

तरफ न देखें बल्कि हम कुछ अरसे तक कांग्रेस के बनाये हुए उसूलों और उन तरीकों पर जिनसे वह हुकूमत करना चाहती है चल कर उसकी इम्दाद करें। मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि हमें किसी तरफ भी देखना नहीं है लेकिन इस वक्त जो सूरत है वह यह है कि इस अरसे में अभी तक हम कोई बात ऐसी नहीं कर सके हैं कि हम पूरे तौर पर अपने सूबे के लोगों को मुतमईन कर सकें। मैं ख्याल करता हूं कि अगर यह रिजोल्यूशन इसलिये पास किया जाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जमा करे जिससे जमींदारी अबालीशन में मदद मिले तो यकीनन यह ठीक होता। लेकिन अगर यह बात नहीं है और किन्हीं दूसरे कामों के लिये यह रुपया लिया जा रहा है तो यह इस सूबे का काम है कि वह इस किस्म के टैक्सेज लगाये और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका अख्तियार नहीं देना चाहिए।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं एक संशोधन पेश करना चाहता था लेकिन उस संशोधन को पेश करने की आज्ञा नहीं मिली। मैं इस बात को मानता हूं कि देश के कामों में और देश की तरक्की के लिए रुपये की जरूरत होती है लेकिन उसमें यह भी देखना चाहिये कि ज्यादा लोगों को उससे तकलीफ न हो। मैं यह देखता हूं कि हमारे देश में अन्न की कमी है। हमारे अन्न मंत्री बार बार यह कहते हैं कि अन्न की कमी है इसलिये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये कि जिससे अन्न के मामले में हम सब लोग मिल कर स्टेट की सहायता कर सकें। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस तरह का यह प्रस्ताव है अगर ऐसा ही प्रस्ताव हम पास करेंगे तो वह चीज उन उद्देश्यों के खिलाफ पड़ेगी जिनको कि हमारी हिन्दोस्तान की सरकार चलाना चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा हो लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसे प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं है कि ऐग्रीकल्चर से जो आय होती है उस पर टैक्स लगाया जाय। मैं यह मानता हूं कि हर स्वतंत्र मुल्क में ऐसे टैक्सेज अनिवार्य हैं और लगाये जाते हैं लेकिन उनके लगाने का एक समय भी होता है। मैं कहता हूं कि हमारे यहां अन्न की कमी है और हमारा प्रान्त ही सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है ऐसे वक्त में यह टैक्सेज सरकार को नहीं लगाना चाहिये। जो जमींदारी अबोलीशन बिल के जरिये से जिसको सरकार अभी तक लागू नहीं कर पायी है, कमजोर हो गये हैं और जो अपने बड़े-बड़े फार्मों में मिकेनाइज्ड फार्मिंग के जरिये से अन्न की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, इससे उन लोगों को बहुत धक्का पहुंचेगा। हमारे यहां का एक बहुत बड़ा तबका जो कि शीघ्र ही बेकार हो जाने वाला है उसके लिये आपने पालन-पोषण करने की तो कोई तजवीज पेश नहीं की बल्कि और टेक्स लगाने की तजवीज पेश कर दी। यह आप कर सकते हैं।

इंडस्ट्रयलिस्ट्स पर यह टैक्स आसानी से लगाया जा सकता है। संसद ने अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव भी पास नहीं किया और न कोई कानून ही ऐसा लाया गया जिसमें इस किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जा रहा हो, क्योंकि वह समझते हैं कि देश को इंडस्ट्रियलाइज (उद्योगीकरण) करना है। वह यह जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे यहां की इंडस्ट्रीज को धक्का पहुंचेगा। इसी कारण से मैं इस प्रान्त के लिये भी कहता हूं कि संसद् का विचार भले ही ऐसा हो लकिन हमारा प्रान्त जो एक कृषि प्रधान प्रान्त है उसकी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिये। इस कारण से मैं कहता हूं कि हमें इस तरह का प्रस्ताव भेजना चाहिये कि हम कृषि आय कर के खिलाफ अपनी राय रखते हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन के हर मेम्बर को यह सोचना चाहिये कि यह बड़े बड़े फार्म वालों का सवाल नहीं है बल्कि आपको अपने देश के लिये अन्न पैदा करना है। अरबों रुपये का अन्न आप दूसरे देशों से खरीद कर अप ने देश को देते हैं लेकिन जिन प्रान्तों में अन्न पैदा होता है

[श्री मुहम्मद रजा खां]

उनकी भावना को इस प्रकार से दबाना मेरी समझ में उचित नहीं होगा। यह समय ऐसा नहीं है कि ऐसी सिफारिश हमारी सरकार करे बल्कि हमारी सरकार की सिफारिश तो यह होनी चाहिये कि जो कृषि आय पर ड्यूटी लगाने का संसद में विचार हो रहा है, उसके लिये यह भवन यह चाहता है कि उसे कुछ दिनों के लिये, कम से कम इस प्रान्त के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि यहां के लोगों की भावना उसके बारे में मालूम हो सके।

यह तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी आय के ऊपर या कृषि आय पर या किसी चीज पर जब चाहें टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिये एक समय होता है। मैं बहुत अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरा विचार यह नहीं है कि ऐसे अच्छे कार्य जिससे देश का कल्याण होता है उस आमदनी में कमी करने में कोई रोड़ा बनूं लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप इस तरह से यह सोचें कि हम लोगों की भावना क्या है। मैं भी फार्म रखता हूं और आप सोचें कि ऐसे लोगों की भावना इसके प्रति क्या होगी कि हमने अभी कार्य शुरू भी नहीं किया कि फौरन एक न एक आफत आने को तैयार है। तो मैं बहुत अदब के साथ आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और अगर आपको प्रस्ताव पास करके भेजना ही है तो प्रस्ताव को इस तरह से भेजें कि जो एस्टेट डयूटी (सम्पत्ति शुल्क) आप देश के लिये लगाने जा रहे हैं उसे कुछ दिनों के लिये रोक दें और फिर बाद में इस पर विचार करें। इस वक्त इस पर विचार करना ठीक नहीं है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अब्दुल बाक़ी--जनाबवाला, इस हाउस में जो रेजोल्यूशन (संकल्प) इस वक्त आ रहा है वह उस वक्त आ रहा है जब पुराने लोगों में से काफी तादाद इस हाउस को छोड़ रही है। यह रिजोल्यूशन निहायत अहमियत रखता है और मुझे ताज्जुब है कि यह रेजोल्यूशन ऐसे वक्त में आया कि जिसका मन्शा यह मालूम होता है कि किसी न किसी तरह से यह मंजूर किया जाय। यह मंजूर हो जाय इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह मंजूर होना चाहिये या नहीं यह एक सवाल है। यह रेजोल्यूशन आर्टिकिल (अनुच्छेद) २५२ के जिमन में आया है। इसके पढ़ने के बाद यह मालूम होगा कि यह आर्टिकिल दरहकीकत कांस्टीटयूशन (संविधान) में जो सबजेक्ट (विषय) तकसीम किये गये हैं उसकी तकसीम का एक्सेप्शन (अपवाद) है। कांस्टीटयूशन में एक लिस्ट दी गई है जो यूनियन की है, दूसरी लिस्ट स्टेट की है और तीसरी लिस्ट यूनियन और स्टेट दोनों के लिये है। आर्टिकिल २५२ उन सबजेक्ट्स को डील करता है जिनके मुताल्लिक कानून बनाने का तनहा स्टेट को अख्तियार है। सवाल यह है कि जो पावर हम अपने लेजिस्लेशन से पार्लियामेंट को सुपुर्द कर रहे हैं वह इस वक्त मौजू है या नहीं और इन पावर को डेलिगेट (प्रत्यायोजन) करने के बाद जो तकरीर यहां पर हुई है जिनमें मफाद बताये गये हैं, वह फायदा इस मुल्क को होगा या नहीं।

आर्टिकिल २५२ (२) के पढ़ने से यह मालूम होगा कि जब एक मामला, हम अपने अख्तियार से सुपुर्द कर देंगे तब पार्लियामेंट कानून बनायेगी। तो उसमें यह दिक्कत पैदा हो जायगी, कि आयन्दा अगर हम तरमीम करना चाहे स्टेट की हालात के मुताबिक तो वह पावर हमको हासिल नहीं होगी। यह पावर पार्लियामेंट को होगी। सबसे बड़ी वजह पार्लियामेंट को सुपुर्द करने की यह बतलाई गई कि मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और वे मुख्तलिफ हालात के मुताबिक अपने यहां कानून बनायेगी किसी जमींदारी के मुताल्लिक या आराजी के मुताल्लिक तो उनमें यकसानियत नहीं होगी। पार्लियामेंट जो कानून बनायेगी उसमें यकसानियत होगी।

इसके मुताल्लिक कई बातें तो हमारे दोस्तों ने कही हैं मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह बात कहीं वह उनके समझने का कसूर है जो स्टेट इस बात की जरूरत महसूस कर कि अपनी पावर को डेलीगेट करें तो वह करें लेकिन उनका मक़सद यह नहीं है कि क़ानून में यकसानियत पैदा हो बल्कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि जिनमें सेंटर को ही कानून बनाना ज्यादा मुनासिब होगा और यह इसमें क़तई नहीं आता कि कानून बनाने में यकसानियत पैदा होगी। जिन लोगों ने तीनों लिस्टों का मुकाबिला किया होगा उनको मालम होगा कि उन तीनों में सबजेक्ट्स का डिवीजन (विषय विभाजन) किया गया है। तीन डिवीजन ही इसीलिये किये गय हैं वरना सेंटर को ही तमाम अख्तियार होता। ऐसी सूरत में अगर हम यह सबब पेश करते हैं कि यह इसलिये किया जा रहा है ताकि तमाम मुल्क में तमाम स्टेट्स में यकसानियत हो जाय तो यह बेमानी चीज है। अगर यही है तो आसानी से कहा जा सकता है कि हर स्टेट में टीनेन्सी ऐक्ट अलग-अलग है और उन सब में बहुत बड़े-बड़े फर्क हैं। अगर इसी सबब को रखा जाय कि जिसको पेश किया गया है तो क्या इसके मानी यह नहीं होंगे कि तमाम जगह के टीनेंसी ऐक्ट्स तोड़ कर तमाम स्टेट्स का अख्तियार सेंटर को दे दिया जाय कि वह सब के लिये कानून बना दे या फर्ज कीजिये कि जिस जगह से हर जगह के म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग-अलग है क्या यकसानियत की गरज से यह किया जा सकता है कि तमाम लोकल बाडीज के ऐक्ट में यकसानियत लाने के लिये तमाम पावर पार्लियामेंट को दे दी जाय कि वह तमाम मुल्क के लिए एक कानून बना दे। मरे ख्याल में ऐसा करना कांस्टीट्यूशन की मनशा के खिलाफ होगा। तीन लिस्टों के मानी ही यह हैं कि हर सूबे के हालात जुदा हैं और मानी यह निकलते हैं कि हर सूबा हर सब्जेक्ट पर अपने यहां अलग अलग कानन बनाये। जमींदारी या टेनेंसी टैक्सेज का मामला पार्लियामेंट की लिस्ट में नहीं है। उसकी वजह भी साफ है और वह यह कि हर सूबे की जमींदारी की नवैयत जमींदारों और टीनेंसी की यकसां नहीं है। इसलिए इससे सही महफूम यही निकलता है कि उसमें यकसानियत नहीं है बल्कि वह अलग-अलग है और एक को दूसरे के मयार पर न वजन किया जा सकता है न तोला जा सकता है। अगर हम यह सामने रखें कि हमें टैक्स लगाना है और इसलिये पूरे देश पर उसे लगाना चाहते हैं और इसी वजह से पार्लियामेंट से कानून बनवाना चाहते है तो हम उस उसूल को भूल जाते हैं कि जिसके तहत में जुदा-जुदा लिस्ट बनाई गई हैं।

मेरी मनशा यह है कि इस तरह की जो यकसानियत की बात चाही जाती हैं तो मेरे नजदीक इस तरह की यकसानियत कोई चीज नहीं है। दफा २५२ में लफ्ज "डिजायरेबिल" (वांछनीय) रखा गया है लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि कानून में यकसानियत पैदा की जाय और अगर इसकी मनशा यह होती तो बजाय "डिजायरेबिल" के दूसरी चीज होती और उस हालत में जाहिर है कि तीन लिस्टों की जरूरत ही नहीं थी। मेरे ख्याल में यह सबब कोई वजन नहीं रखता। आर्टिकिल २५२ में जो पार्ट २ है उसमें अगर हम यह अख्तियार पार्लियामेंट को देते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक होगा इसलिये कि हर जगह के हालात बदलते रहते हैं। मदरास में इस सूबे के से हालात नहीं हैं, उड़ीसा में इस सूबे के हालात नहीं हैं। ईस्ट पंजाब की वह हालत नहीं है जो इस सूबे की है। अगर जदीद हालात पैदा हो गये और जब उनको हम महसूस करेंगे तो फिर हमको यह अख्तियार नहीं रहेगा कि उनमें तरमीम और तनसीस कर सकें। वजाहिरा यह एक रिजोल्यूशन मालूम होता है। मगर इसके तहत में जो चीज निकलती है वह यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई जदीद टैक्स वह इस सूब पर आयद करे। सूबे की हालत तो बिल्कुल खुली हुई है। इसमें मुखतलिफ अजला ऐसे हैं जहां फ़ेमिन कण्डीशन्स (अकाल की दशा) मौजूद हैं और बहुत से जिले ऐसे हैं जो

[श्री अब्दुल बाक़ी]

डेफीसिट (कमी के प्रदेश) हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि और टैक्स लगाने की गुंजाइश है तो मैं बाअदब अर्ज करूंगा कि इस सूबे के हालात को पूरी तरह से सामने नहीं रखा गया है, या यह कहा जा सकता है कि आपको लोगों से जो १० गुना रक़म वसूल करनी चाहिये थी उसमें आप क़तई कामयाब नहीं हुये। तो बजाय इसके कि वह दोबारा कोई इल्जाम अपने ऊपर लें वह इसको टालना चाहते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। अगर यह ख्याल है तो मैं समझता हूं कि वह भी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है। इस सूबे में हम देख रहे हैं कि बजट सिर्फ एक साल सरप्लस (बचत का) रहा वरना हर साल डैफीसिट (घाटा) ही रहा है। तो हमें अपने बजट का भी ख्याल करना चाहिये और उसे इस तरह के टैक्सेशन (करारोपण) से नहीं पूरा करना चाहिये। हमको यह भी देखना है कि कितने सीगे और शाखें इस सूबे में ऐसी हैं जिनको दरअसल नहीं होना चाहिये।

मेरे बाज दोस्तों ने कहा है कि हमने पंचायत ऐक्ट पास किया और इस सूबे में पंचायतें फैला दी हैं। अगर वह इन पंचायतों के फैसलों, उनकी कार्यवाही और कारगुजारी से मुतमइयन हैं, तब तो इसका कोई इलाज नहीं है। मगर वाकया यह है कि पंचायत खुद अपनी जगह पर पूरी फ़ेल्योर (असफल) रही है। यहां से बाहर, जाकर आप देखें कि कितने सीगे ऐसे हैं जिनमें तरमीम और रिट्रेंचमेंट (छटनी) की जरूरत है। अगर उसको आप देखेंगे तो यह ख्याल आपके दिमाग से निकल जायगा कि हमको मजीद टैक्सेशन करने की जरूरत है।

तीसरा खतरा इसमें यह है कि हमारे बाज दोस्तों ने यह कहा है कि कम्युनिज्म के दरवाजे को हम बन्द करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो यह खुशफ़हमी है। जितना आप टैक्स ज्यादा लगायेंगे, लोग यह महसूस करेंगे कि हमारे पास रुपये की कमी है, दौलत की फरावानी खत्म हो रही है। तो वह कम्युनिज्म की तरफ झुकेंगे। इस तरह आप कम्युनिज्म का रास्ता खोल रहे हैं। आप चाहे सैकड़ों और हजारों कानून पास करा लीजिये। क़ानून का पास करा लेना कोई खूबी या हुनर नहीं है। बल्कि जो क़ानून पास हों उन पर अमल अच्छी तरह से और कामयाबी के साथ हो, तो यह ज्यादा बेहतर है क़ानून से।

जनाबवाला, मेरे लायक दोस्त ने अभी कहा था कि बहुत से कानून पास किये गये जिनके पास करते वक्त मैंने उनकी बड़ी तारीफ की मगर वह तारीफ बदल कर मजम्मत हो गयी। इतना अहम क़ानून कि जिसका असर इस सूबे के ६ करोड़ बसने वालों पर पड़ेगा। हम इस रेजोल्यूशन (संकल्प) को इस वक्त ला रहे हैं कि जब हमको सोचने का काफी मौका नहीं है। इस सूबे में राय देने वालों को मौका नहीं मिला कि क्या राय दी जाय। टैक्स का मामला है, इस पर राय जरूरी है उन लोगों की जिनपर इसका भार पड़ेगा। जमींदार महसूस करता है कि यह सारा भार हमारे ऊपर है, मुमकिन है कानून पास होने के बाद इसका भार जमींदारों पर न पड़े, लेकिन मालूम यही होता है कि पहली चोट जमींदारों पर पड़ेगी। तो जनाबवाला, इतना अहम है वह रेज्योल्यूशन। मुझे तो ताज्जुब मालूम होता है कि इस वक्त आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इसे रखा है कि जब यह हाउस यक़ीनन इस पर अहमियत के साथ गौर करने के लिये तैयार नहीं है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इस रेजोल्यूशन को पेश करने का यह मौका नहीं है इसलिए आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन को फिलहाल वापस ले लें। अगर उनको वाकई जल्दी है और इस उम्दा अख्तियार को खुद इस्तेमाल करना नहीं चाहते और डेलीगेट करना चाहते हैं सेंटर (केन्द्र) को तो जो आइन्दा इनलार्ज्ड (बड़ा) हाउस होगा, जिसमें ज्यादा राय मिल सकेगी उसके सामने इसको आना चाहिये और इस वक्त इसको वापस ही लेना चाहिये। इन चन्द अल्फाज़ के साथ इस रेजोल्यूशन (संकल्प) की मैं मुखालिफत करता हूं।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—जनाबवाला, मैं उस प्रस्ताव का, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, समर्थन भी करना चाहता हूं और विरोध भी। जहां तक कि उसके

बुनियादी उसूल का ताल्लुक़ है वह यह कि है गवर्नमेंट को चलाने के लिये और अपने सूबे को तरक्की देने के लिये रुपये की जरूरत है और रुपया जिस तरह से भी मुमकिन हो हासिल किया जाय। इस उसूल से तो किसी को इंकार नहीं हो सकता और यह भी जाहिर है कि रुपया लिया भी जा सकता है, तो उन्हीं लोगों से जो दे सकते हों और शायद यह उसूल एक ऐसा आम है कि जब से लोगों को यह मालूम हुआ कि मेरे घर में सिवाय कुछ फटे पुराने खद्दर के कपड़ों के और कुछ किताबों और फरनीचर के कुछ नहीं है मेरा मकान बहुत अरसे से महफूज है जबकि मकान के इर्द-गिर्द जिन लोगों के मुताल्लिक़ यह महसूस होता है कि उनके पास रुपया है वहांमेरे चोरियां होती रहती हैं। तो यह तो दुनिया का उसूल है कि रुपये वालों से ही रुपया लिया जाता है। तो हम में से जो अपने आप को अमीर समझते हों वे इससे घबरायें लेकिन जो हम में से यह समझते हों कि इसका बार हमारे ऊपर नहीं होगा उनको तो घबराने की कोई वजह नहीं है।

लेकिन एक चीज जरूर मुझे इसमें खटकती है कि यह एक क़ोरानी तक़लीद अंग्रेजों के वक्त से चली आती है। दूसरे यह कि मुझे एक बुनियादी खराबी इसमें यह भी महसूस होती है कि एक क़िस्म से डेथड्यूटीज जितनी हैं उनमें ख्वामख्वाह इसका इन्तजार करना पड़ता है कि कोई मरे तो ड्यूटी वसूल हो। तो यह बजाय मरने वालों से ड्यूटी लेने के कि जिसका असर उन गमजदों और मातम करने वाली औलाद और बालिगों पर पड़ता है अगर लेना ही है तो यह लाइफ ड्यूटी के तौर पर उन लोगों से क्यों न लिया जाय तो एवरेज ऐज (औसत आयु) से ज्यादा जियें, मसलन हमारे मुल्क में एवरेज एज (औसत आयु) २६ वर्ष की समझी जाती है तो जो २६ वर्ष से ज्यादा जियें उसको हम टैक्स करें और वह जैसे-जैसे जियें वैसे-वैसे वह टैक्स प्रोग्रेसिवली (उत्तरोत्तर) बढ़ता जाय। वह भी कोशिश करें कि हम जियें और हम भी दुवा करें कि वह जियें। इसमें तो खवाहमखवाह यह होगा कि जितनी जल्दी हो लोग मरें ताकि हमको डेथ ड्यूटी में ज्यादा रुपय मिले। यह मशरकी तहजीब के लिहाज से मुनासिब नहीं है। तवारीख और इतिहास बतलाता है कि हर किस्म के टैक्स लगे हैं लेकिन यह तहजीब कि आदमी मर गया तो उस पर टैक्स लग गया, यह चीज अच्छी नहीं मालूम होती।

रहा यह कि मेरे बाज भाइयों ने यह शिकायत की कि इसका मौका नहीं है और लोगों ने कहा कि अभी तो जमींदारी अबालीशन का थप्पड़ हम पर लगा और अब दूसरा यह आ रहा है तो मैंने कहा कि हमको सब्र करना चाहिये क्योंकि जैसा कि एक शायर ने कहा है—

छुरी के नीचे अभी जानेजार बाकी है,
जो चाहे टैक्स करो अख्तियार बाक़ी है।

इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तक तुम जिन्दा हो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन यह कोशिश करो कि जिन्दगी में ही जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को पहुंचा सकते हो उसे पहुंचाओ। तुम्हारे मरने के बाद जो गवर्नमेंट वसूल करेगी उससे तुम्हारी आत्मा को कोई सवाब नहीं पहुंचेगा।

रहा यह कि जैसा अभी हमारे एक भाई ने एतराज किया कि आने वाली असेम्बली को इसका मौका दिया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि आने वाली असेम्बली को सारे सूबे वाले जानते हैं। आने वाली असेम्बली में यही हो सकता है कि अगर इस वक्त मौजूदा असेम्बली में २०० या १५० की कसरत राय से प्रस्ताव या बिल पास होगा तो उसमें ४०० की कसरत राय से हो जायगा। तो वह आपके लिये क्या तसल्ली की चीज होगी। मैं तो कहूंगा कि अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जरूरी समझते हैं कि इस असेम्बली में ही पास किया जाय तो जरूर किया जाय क्योंकि आने वालों के ऊपर इसका भार क्यों छोड़ा जाय। उनको एक क्लीन स्लेट दीजिये। उनको अनपापुलर (अप्रिय) करने की हम क्यों कोशिश करें, अगर इससे

अनपापुलैरिटी होती है। हम यह क्यों चाहें कि हम तो निकल गये और जो आने वाले हों वे अनपापुलर हों। हालांकि यह ख्याल ही गलत है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस टैक्स से हमारी गवर्नमेंट अनपापुलर नहीं होगी।

जहां तक मासेज (जनसाधारण) का ताल्लुक है, इसका मासेज पर असर नहीं पड़ेगा, इसका तो चन्द उन गों पर असर होगा जिन्होंने कि बहुत जायदाद इकठ्ठा कर ली है। तो क्या हर्ज है कि उनकी जायदाद का एक टुकड़ा, एक मुनासिब टुकड़ा जो कि तय किया जाय, उसको ले लिया जाय। तो इससे किसी किस्म की अनपापुलैरिटी (अप्रियता) का अंदेशा नहीं हो सकता। हां यह जरूर है कि उसमें हमदर्दी का एक शायबां जरूर महसूस होता है कि बजाय इसके कि स्टेट अपने हर सिटीजन (नागरिक) के मरने पर शोक करे, गम करे, स्टेट और उसके मुलाजमीन और उसके कर्ता-धर्त्ता सब खुशी मनायेंगे कि कोई बड़ा आदमी मर जाय क्योंकि उससे स्टेट की आमदनी बढ़ जायगी। तो मैं इसके तो जरा खिलाफ हूं लेकिन उसकी जगह पर जैसा कि मैंने कहा, डेथ ड्यूटी की जगह लाइफ ड्यूटी लगाई जाय तो २७ बर्ष से जो बढ़े तो बढ़ते बढ़ते ७३ के ऊपर पहुंचते-पहुंचते इतनी ड्यूटी हो जायगी कि अगर वह जिन्दा रहे तो हमारे लिये और अच्छा और जो अगर मर जाय तो औलाद इतनी हो जायगी कि उसकी औलाद से फिर वसूलयाबी काफी होगी। ७० बरस का कोई मरा तो औलाद २६ बरस से कम की न होगी। तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसके मरने से हमारा कोई खास नुक़सान नहीं होगा।

इसलिये मैं तो निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि हमको इस बात को ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है कि फार्म आफ इनकम हमारे सूबे की ज्यादा आमदनी बढ़ाने की क्या हो और क्या तरीका हो। यह नहीं कि चूंकि इंगलिस्तान में इस किस्म का टैक्स लागू है तो आंख बन्द करके हम भी लगा दें। मैं तो इस किस्म की तक़लीद के हमेशा खिलाफ रहा, लेकिन अगर इसका मंशा सिर्फ इतना ही है कि सूबे और मुल्क की आमदनी को बढ़ाया जाय और उसको बढ़ती हुई जरूरियात के लिये कोई रुपया सरमाया फराहम किया जाय जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक तो इस हाउस के मेम्बर २२८ थे, अब खुदा के फ़ज्ल से ४३० हो गये। तो जैसा सुनने में आता है कुछ मिनिस्टर बढ़ेंगे, कुछ डिप्टी मिनिस्टर होंगे, कुछ तादाद पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की बढ़ेगी, तो खर्चा तो सूबे का बढ़ेगा। इस बढ़ते हुये खर्च के लिये आमदनी को भी सोचना चाहियेऔर अभी से सोचना चाहिये, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं लेकिन जो तरीका हो उसको सोचने के लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी मुनासिब समझें तो जैसे बाज लोगों की ख्वाहिश है, चलते चलाते उनकी इस प्रार्थना को कबूल कर लें तो यह उनकी पिछली मेहरबानियों से और अहसानों से बईद न होगा।

बाज अपोजीशन के मेम्बरान का ऐसा ख्याल है, जिनमें मैं तो अभी अपने आप को शुमार नहीं करता, मैं तो बीच आधार में हूं, तो शायद वे लोग इससे खुश हो जायं। मैं तो इस खुशी की भी तमन्ना नहीं करता। बहरहाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह मामला ऐसा है कि इसके मुताल्लिक़ काफी सोच विचार की जरूरत है। यह कहना कि दूसरे मुल्कों में सके ऊपर सोच विचार होकर वहां जारी कर दिया जा चुका तो यह चीज अपने देश में, अपने मुल्क, अपने प्रदेश में, सूबे में इसको जारी कर दें यह काफी वजह नहीं होगी। इसलिये अगर मेहरबानी करके हमारे मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर सोच विचार करके कोई ऐसा तरीका निकालें यह नहीं कि उससे हम लोगों का कोई फायदा या नुक़सान होगा बल्कि एक जनरल फायदे की गरज से, देश के फायदे के लिये कोई बेहतर सूरत निकालें आमदनी बढ़ाने की, या इसी आमदनी को जिसे वह अच्छी समझ रहे हैं उसको एक अच्छी शक्ल में वसूल करने का तरीका अख्तियार करें। जैसा कि मैं आपको बतलाऊं कि किसी काम के कराने के कई तरीके हुआ करते हैं। किसी से कहें कि "अबे खाना खा ले" और यह भी कहा जा सकता है कि "खाना जरा नोश फरमाइये"। मतलब तो एक होता है, लेकिन एक में जरा सी सख्ती होती है और एक में जरा सा लुत्फ होता है। तो यह मरने के वक्त की सख्ती ठीक नहीं होगी। जिन्दगी में

चाहे जितना खरचा हो फिर भी आदमी चाहेगा कि और जिन्दा रहूं। क्योंकि सबकी तमन्ना होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा जिये। मुमकिन है वह अपनी लाइफ इंश्योर (जीवन बीमा) करा ले और दीगर तरीकों से स्टेट का फायदा करे। तो मैं यह अर्ज करूंगा लाइफ ड्यूटी के नाम से इसको जारी किया जाय, बजाय डेथ ड्यूटी के। मुझे इतना ही अर्ज करना है।

श्रीमती इनाम हबीबुल्ला---जनाबवाला, इस मजमून पर सुबह से बहुत तक़रीरें हो चुकी हैं, मैं चन्द अल्फाज में अपने ख्याल का इजहार करना चाहती हूं। इसमें शक नहीं कि जो यह स्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) यहां पर लागू की जा रही है वह बिलकुल ही नामुनासिब है और नावक्त होने के अलावा हमारे मुल्क की आबोहवा के लिये किसी तौर से भी मौजूं नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आप के दिल में ख्याल ही कैसे आया कि यह ड्यूटी लगायें। मरना और जीना जैसा इंगलिस्तान में समझा जाता है वैसा तो हिन्दोस्तान में नहीं समझा जाता। इस वक्त जो चीज पेश है वह मौजूं नहीं है क्योंकि इंगलिस्तान और हमारे यहां जमीन आसमान का फर्क है, रस्मो रिवाज का फर्क है यहां की और वहां की रोज मर्रा की जिन्दगी का फर्क है। इन सब बातों पर गौर किये बगैर यह चीज रखी गयी है तो मुझे बइन्तहा हैरत और ताज्जुब होता है। जिस तरह से इंगलिस्तान में लोग अपनी जिन्दगी गुजारते हैं उससे और हमारे यहां बहुत फर्क है। वहां पर हर शख्स अपने वास्ते ही पैदा हुआ है और वह दूसरों का ख्याल बहुत कम करता है। जहां तक होता है वह अपने और अपने बच्चों के लिये ही करता है और वह भी जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तभी तक उस की जिम्मेदारी है। बच्चों के बड़े होने पर जैसे जानवरों का हिसाब होता है कि वह अपने बच्चों को जब तक छोटे रहते हैं दाना पानी देते हैं और बाद को उनकी कोई फिक्र नहीं करते हैं, इसी तरह से इंगलिस्तान के लोगों की हालत है। वे अपने घरों में रहते हैं और उनक बच्चे अपन घरों में रहते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है यहां तो ज्वाइण्ट फेमली सिस्टम (संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली) है। एक शख्स जो खानदान में सब से बड़ा होता है वही पूरे खान्दान में सब से बड़ा होता है और वही पूरे खान्दान के बार को संभालता है। यह नहीं होता है कि वह सिर्फ अपनी जान को संभालता हो। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है।

इस वक्त जो कुछ किया गया है जैसे जमींदारी अबालीशन हुआ उस से वैसे ही लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे और उसके बाद उनके ऊपर जमींदारी टैक्स लगा दिया गया जिससे उनका बचा बचाया भी जाता रहा। लोगों के दिलों में परेशानी और घबराहट यों ही पैदा है और अब इससे बहुत ज्यादा हो जायगी। आप कहा करते थे कि अपने हाथों से तो हल चलाइये जिन्होंने कभी अपने हाथों से हल छुआ तक न था वे भी हल चलाने के वास्ते तैयार हो गये क्योंकि उन्होंने समझा कि चलो अपने मुल्क को फायदा पहुंचे तो अच्छा है। गवर्नमेंट का भी यह ख्याल है कि हम ऐसा करें लिहाजा इसमें हमारी जिल्लत नहीं होगी। जो जमीन उन्होंने काश्त के लिये रखी है जिस पर ही वह अपनी जिन्दगी को बसर करना चाहते हैं। अगर यह पास हो गया तो उनको यह ख्याल होगा कि उनके मरने के बाद यकीनन गवर्नमेन्ट उनकी जमीन को ले लेगी, यह उनकी कितनी परेशानी का बायस होगा। दूसरे यह चीज भी ऐसी है कि अवाम इसका नाम सुनकर घबरा जायेंगे कि मरने के बाद डेथ ड्यूटी भी ली जायगी। मैं समझती हूं कि हर शख्स जो यहां का रहने वाला है वह बहुत परेशान होगा और अगर कल कम्युनिज्म आने वाला है तो आप इसके जरिये आज ही उसको बुला लेंगे। इसलिए यह मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप इस बिल को पास करें और ऐसी चीजें करें।

दूसरी बात यह है कि अभी बहुत से भाइयों ने यह बात बतलाई कि गवर्नमेंट को रुपये की जरूरत है इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है।

बहुत से इस तरह के तक़रीर करने वालों ने इस चीज को बताया कि गवर्नमेंट के लिये यह कोई बहबूदी और फलाह का जरिया नहीं दे सकता है। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनक

[श्री मती इनाम हबी बुल्ला]

यहां यह हो रहा है कि तिजारत और सनअत व हिरफत की तरक्की की तरफ खासतवज्जह कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन से मुल्क की तरक्की हो सकती है। इसके जरिये से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन मरने वालों पर ड्यूटी लगाना किसी तरह से मुनासिब नहीं कहा जा सकता है। मैं समझती हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जरूर इस को अच्छी तरह से समझ लेंगे और जो तजवीज इस वक्त पेश है उसको वापस लेंगे।

दूसरी एक बात सबसे बड़ी, जो कि दूसरे मुल्कों के लोग नहीं सोच सकते हैं, यह है कि हमारे यहां जो विरासत का कानून है वह एक मजहबी सूरत है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इस को मानते हैं। मुसलमानों में तो यह है कि इसमें एक हर्फ भी बदला नहीं जा सकता है। सरमायादारी को हमारे इस्लाम ने कभी पसन्द नहीं किया है। वहां सरमायादारी तो रह ही नहीं सकती है। थोड़ी-थोड़ी होकर तकसीम हो जाती है। लेकिन जिस तरह से तकसीम बतायी गयी है इस बिल के पास हो जाने से उसमें दस्तंदाजी होगी। इसलिए मैं समझती हूं, आप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे जिससे इस वक्त की बदलती हुई मुल्क की हालत में इंतशार और परेशानी पैदा हो जाय इस पर बहुत ही अच्छी तरह से गौर करना चाहिये और इस सर्कुलर को वापस ले लेना चाहिए।

श्री नवाजिश अली खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस मौके पर और इस एटमास्फियर (वातावरण) में जिस वक्त हम पहुंच चुके हैं मैं यह सोच रहा हूं कि कोई ऐसी तकरीर का कुछ ज्यादा फायदा या असर तो मुझे नजर आ नहीं रहा है। अलबत्ता दो एक बातें पहले इसके कि मैं तकरीर को शुरू करूं कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी दल की तरफ से कुछ सदस्य साहबान शायद यह समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से यह बिल या यह प्रोपोजल या यह रजोल्यूशन जबरन थोपा जा रहा है और इसके लिये वह ऐसे ऐटमास्फियर और ऐसे ऐटीट्यूट (रुख) में तकरीरें कर रहे हैं यह गलत है क्योंकि मुख्य मंत्री ने आज से तीन रोज पहले जब कि इस प्रोपोजल को पेश किया था तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि अगर आप लोग इसे पसन्द करें तो हम इसको हाउस में रखें और अगर आप पसन्द न करें तो इस को उठा कर दूसरे हाउस में ले जायं। अब हम लोगों को इस मौके पर सिर्फ यह दिखलाना है कि आया यह मुनासिब है या नहीं है और आया इस हाउस में हम इसको डिसाइड (निर्णय) करें या न करें। फक्त इतना नजरिया है जो हमें पेश करना है और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई इंसिस्टैंट (उतारू) नहीं है कि वह जरूर ही इस वक्त इस को पास करे।

जहां तक कि यह ऐतराज है कि बहुत जल्दी की गयी है उस ऐतराज को खास तौर पर उस दिन मुख्य मंत्री ने पूरे तौर पर मीट किया (समझाया)। अब सिर्फ एक बात को देखना है कि आया उसूली तौर पर हम अपने बाजे अख्तियारात केन्द्रीय सरकार को सुपुर्द कर सकते हैं या नहीं। दूसरे यह कि इस प्रस्ताव के क्या मेरिट्स (गुण) हैं। आया इस प्रस्ताव को यहां से पास करना चाहिये या नहीं और अगर पास करें तो किन लाइन्स (दशाओं) पर।

मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक प्रस्ताव का ताल्लुक है वह नई जमीनों के लिये बनाया गया है और इसके अन्दर इण्डस्ट्रियल प्रापर्टीज (उद्योग संबंधी सम्पत्ति) जितनी है वह शामिल नहीं है। इसका मतलब यह साफ हुआ कि यह प्राविन्शियल सबजक्ट (राज्य सूची का विषय) है जिसको हमेशा से जब से यह मौजूदा सिस्टम हुकूमत का कायम हुआ प्राविन्स डील करता रहा है। जब से ब्रिटिश ने यह सिस्टम रायज किया तब से यह प्राविंशियल सबजेक्ट है और यह सेण्ट्रल सबजेक्ट (केन्द्रीय विषय) नहीं है। इस तरह से चला आता है। और यह किस नई और ऐग्रीकल्चर का सबजेक्ट प्राविंशियल है और हर सूबे को यह काम करने का मौका मिला और उसके लिये उन्होंने कानून बनाये। अंग्रेजों ने जिन-जिन सूबों में कानून बनाये उन्हीं

लाइन्स पर प्राविंशियल टेनेन्सी लाज (सूबे का काश्तकारी कानून) रखा था। अगर हम अपने यहां के टेनेन्सी लाज को देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारी लोकल (स्थानीय) चीज है। हमारे यहां कानून कब्जा आराजी या अवध रेंट ऐक्ट या यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट है। पंजाब में या मध्यभारत में या बिहार में इस किस्म का कोई कानून नहीं है और बम्बई, मद्रास और ट्रावनकोर से तो कोई लगाव है नहीं। यह बिलकुल एक सूबाई चीज है और हम लोगों से ताल्लुक रखती है। और इसके लिये हम अगर केन्द्रीय सरकार को अख्तियार दिये देते हैं कि वह जो चाहे और जिस में चाहे हमारे ऊपर एक टैक्स लगा दे, मैं समझता हूं कि खिलाफे अक्ल अख्तियारात के होगा। मैं नहीं जानता कि हमारा कांस्टीट्यूशन क्या कहता है लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि हम उस ब्रेन (मस्तिष्क) के अन्दर जिसमें कि मेण्टर इसको बनाना चाहता है अपने ब्रेन (मस्तिष्क) को भी पहुंचावें और पूरे तौर पर वाजेह कर दें कि किन लाइन्स पर वे बनावें ताकि उनको अन्दाजा हो सके कि वह किन लाइंस पर चलें, क्योंकि मद्रास के ला में और यहां के ला में जमीन आसमान का फर्क है। यह मेरा पहला एतराज है कि उसूली तौर पर इसको सेंट्रल को नहीं देना चाहिये। अभी जिस वक्त यह हाउस नहीं था उस वक्त हमारे महामान्य राज्यपाल ने एक आर्डिनेंस एवाकुई ला (निष्क्रमणाथी-विधि) के बारे में जारी किया था और वह एक नया सवाल था और सब प्रान्तीय सरकारों के सामने बराबर से पेश था और इसलिये उस रिजोल्यूशन, उस आर्डिनेंस को भेज दिया सेंटर में। लेकिन यह तो हमारा सबजेक्ट है और जो खालिस तौर पर हमारा सबजेक्ट हो उसका अधिकार उनको देना जिसका उनको तजुर्बा न हो, न किसी किस्म की वाकफियत हो इस बारे में उनके हाथ में दे देना एक मखदूश चीज है जो हमको नहीं करनी चाहिये।

अब मैं मेरिट्स (गुणों) पर आता हूं। इतना मैं अर्ज करूंगा कि खाह इण्डस्ट्रियल लैंड की बातहो या एग्रीकल्चरल जिसका जिक्र इस प्रस्ताव के अन्दर मौजूद है। मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उस पर जितना बार पड़ चुका है उससे ज्यादा बार उस पर डाला जाय। जहां तक एग्रिकल्चर (कृषि) का ताल्लुक था तीनों किस्म के टैक्स जरा-अतपेशा लोगों पर ही आयद होते हैं। पहला रेवेन्यू (मालगुजारी) था जो हमेशा से चला आ रहा था। दूसरा एग्रिकल्चरल टैक्स और तीसरा सेल्स टैक्स (बिक्री कर) कहा जायगा। सेल्स टैक्स जराअत पेशा लोगों पर कैसे लागू होता है इसके लिये मैं एक सिम्पिल (साधारण) बात पेश करता हूं। हम आज देखते हैं कि आज जो रेजर ब्लेड्स १ रुपये दर्जन मिलते हैं, जब जब हम उनको लेने जायंगे तो दूकानदार हमको १ रुपये १ आने पर १ दर्जन ब्लेड्स देता है। यह जो १ आना सेल्स टैक्स ट्रेडिंग क्लास (व्यवसाइयों) पर पड़ता है वह दरअसल हमारे ऊपर आ कर पड़ता है। चूंकि एग्रिकल्चरल क्लास मेजारिटी (खेती करने वाले बहुमत) में है लिहाजा सेल्स टैक्स का भार उसी पर जा कर पड़ता है। इंडस्ट्रियल टैक्स (उद्योग कर) से यह मुराद है कि आपने मुलाहिजा किया होगा कि गुजिश्ता ५ साल से जब से मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें बाज जिम्मेदार मिनिस्टरों के जरिये, केन्द्रीय सरकार और प्राविन्शियल सरकार के हुई और यह कहा गया कि हम सरमायादारी को खत्म कर देंगे तो केपिटल शाई (पूंजी लगाना कम) हो गयी, मनी मार्केट टाइट हो गया। ट्रेडिंग क्लास ने रुपया बाहर निकालना बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एक अजीब इंफ्लेशन और डिफ्लेशन मिुद्रास्फीति और विस्फीति का विशस सर्किल (दूषित) सा बन गया। इस सर्किल में इंफ्लेशन का यह हाल कि रुपये की कीमत सवा तीन आने रह गई और डिफ्लेशन की यह हालत कि मार्केट के अन्दर रुपया नहीं है। यह सर्किल ऐसा बन गया है कि इससे हम निकल नहीं पाते हमारा मुल्क जो इंडस्ट्रियालाइज होने (उद्योग बढ़ाने) जा रहा था जिससे मुल्क को बहुत फायदा पहुंचता वह चीज बिलकुल ठप हो गई।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ हमारे एक केन्द्रीय मंत्री ने यह ऐलान किया कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट एंटरप्राइस (निजी उद्यम) खुद चला सकती हैं और मार्केट में अपना रुपया ला

[श्री नवाजिश अली खां]

सकती हैं, ताकि यह मनी टाइटनेस (रुपये की कमी) खत्म हो जाय। सोने का भाव १०९ से ८० रुपये पर पहुंच गया। स्टाक एक्सचेंज ने भी एग्रिकल्चरल कमोडिटीज (कृषि की चीजों) को ही हिट (प्रभावित) किया, मसलन आयल को ले लीजिये। दो रुपये से तेल सवा रुपये पर आ गया। इससे आयल इंडस्ट्रीज को धक्का लगा। १२ को १२ मिलें कानपुर में बन्द हो गईं। सब से पहले इस स्लम्प ने जिसे लोकल स्लम्प समझा जाता है एग्रिकल्चरल कमोडिटीज को हिट किया है। वजह यह है कि हमारे मुल्क की जितनी एक्नामी (आर्थिक योजना) है वह रूरल एक्नामी (देहात पर आधारित आर्थिक योजना) है। जहां रूरल एक्नामी पर धक्का लगता है तो पूरे का पूरा फ्रेम (ढांचा) हिलने लगता है। जहां कोई गलत काम हुआ कि रूरल एक्नामी पर धक्का लगा और चीजों के दाम नीचे जाने लगे और मालूम नहीं किस स्टेज (प्रक्रम) पर जा कर ठहरेंगे। उनका ख्याल है कि यह वर्ल्डवाइड स्लम्प (जगत व्यापी मुल्यापकर्ष) है और इसके नतीजे बाद में मालूम होंगे और उसके बाद बड़ी मुसीबत बढ़ जायगी क्योंकि पिछला स्लम्प जो सन् ३० में आया था वह ब्राजील से शुरू हुआ और वहां के १२५ बैंक क्रैश (समाप्त) हो गये। वहां की गवर्नमेंट ने यह समझा कि यह मसला सिर्फ उन्हीं के लिये था, लेकिन बाद में यह स्लम्प इतना फैला कि उसने हम लोगों को भी हिट (प्रभावित) किया और वह बराबर हिट करता रहा, हालांकि लड़ाई सन् ३९ में आ गयी थी।

इसमें कोई शुबहा नहीं है कि गवर्नमेंट को पूरा हक़ हासिल है कि वह मुल्क की फलाह के लिये अगर उसको रुपये की जरूरत है तो वह हर चीज पर टैक्स लगा सकती है और अगर जरूरत समझे तो पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) में उसको ले ले। लेकिन यह उसी सूरत में हो सकता है जब हमें इस बात का पूरा इत्मिनान हो। हमारे यहां की पर केपीटा (प्रति व्यक्ति) आमदनी भी उतनी नहीं है जितनी इंग्लिस्तान के लोगों की है। यहां तो हम वैसे ही हाइली टैक्सड (अधिक कर ग्रस्त) हैं। अब ४-५ साल के बाद आजादी की झलक कुछ दिखाई दी थी। आज हमारे हाथ में कतई तौर पर गवर्नमेंट है, हम चाहे जो कर सकते हैं। हम पोलीटिकली तो आजाद हो गये हैं लेकिन अभी इकोनोमीकली (आर्थिक दृष्टि से) स्टर्लिंग और डालर के चक्कर में पड़े हुये हैं; अभी नहीं कह सकते कि कब वह वक्त आयेगा जब कि हम अपनी आजादाना पालिसी अपने टर्म्स में डिक्टेट करा सकेंगे। इसलिये उसूली तौर पर अगर यह रहने दिया जाय तो बहतर होगा और यह हमारी असेम्बली के ऊपर ही छोड़ दिया जाय कि वह जैसा चाहे करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैंने जब इस तजवीज को पहिले पेश किया था और इस सिलसिले में यह कहा था कि अगर कोई भी मेम्बर कहे कि इस पर इस वक्त यहां बहस-मुबाहिसा न हो तो मैं इसको छोड़ देने के लिये तैयार हूं इस पर किसी साहब ने कोई एतराज नहीं किया। मैंने यह मंजूर किया था कि इस पर ज्यादा वक्त दिया जायगा। कल भी इसका जिक्र आया। कल जब इसके लिये वक्त मुकर्रर हुआ और आज जब पेश हुआ तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। पेश करने के बाद और इतनी बहस मुबाहिसे के बाद हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही ऊपर नहीं है बल्कि सभी साहबों पर है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि सारे हाउस की यह राय थी कि इस मसले पर गौर हो और इसका फैसला किया जाय।

जहां तक बहस का ताल्लुक़ है हमारे साथी जब इसके ऊपर बोलते हैं तो ऐसा कहते हैं मानो कि उन्हें दुनियां की सब मालूमात है और बाक़ी सब लोग कमअक्ल हैं और इस मुल्क में न जाने कितना जुल्म और कितनी ज्यादती हो रही है जिसे कोई भी नहीं जानता। जो चुनाव हुये उसका भी ख्याल उन्हें नहीं रहा। उसमें उनका क्या हश्र हुआ ? कहते हैं कि जो प्रोग्राम या

कार्यक्रम हमारे सामने हैं वे सब गलत है और सारा मुल्क हमारे खिलाफ है । लेकिन वे यह बिलकुल भूल जाते हैं कि उनके बारे में लोगों ने उनको क्या जवाब दिया है। इस बात को ये कतई भूल जाते हैं। यह मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा फैयाजी की बात नहीं है। मैं कोई यह नहीं कहता और मैंने बार-बार कहा है कि हमने बहुत कुछ नहीं किया। इतने समय में जो कुछ हमें करना है, जो कुछ हमने अब तक किया है उससे कई गुना ज्यादा है। उसको निस्बत कोई मुकाबिला नहीं हो सकता। हमने अगर २० लाख की जगह ३५ या ३६ लाख लड़कों को पढ़वा दिया तो उससे क्या ? हम उससे और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह से और बातों को भी करना है। मगर मैं समझता हूं कि दानिशमन्द साहबान का यह कहना जो यहां पर कभी कम्युनिज्म का जिक्र करते हैं, कभी किसी चीज का जिक्र करते हैं मानों उन्हीं को सब बातों का इल्म है कि इस बात की जरूरत है कि अभी लोग सोचें समझें और तब उनके सामने यह मसला रखा जाय। मैं नहीं समझता कि वे मामूली बात को किस तरह से भूल जाते हैं। स्टेट ड्यूटी का मसला यहां पर पहली दफा नहीं रखा जा रहा है। हमारी समझ में इसकी चर्चा कम से कम आज कोई ३० साल के करीब से चल रही है। सन् १९२४-२५ में टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी बैठी थी जिसने इसके लिये सिफारिश की थी । उसके बाद उसके ऊपर काफी बातचीत, बहस-मुबाहसा और लिखा-पढ़ी हुई। उसके बाद फिर सन् ४६ में एक बिल आया हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में पेश हुआ और उस बिल के ऊपर काफी बातचीत हुई । वह बिल सब जगह सरक्युलेट किया गया, उसके ऊपर राय ली गयी और यहां तक कि हमारे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के ताल्लुकेदारों ने, मर्चेण्ट्स चेम्बर्स ने और पब्लिक ने भी अपनी राय दी। चूंकि इस बीच में लेजिस्लेचर खत्म हो चुका था फिर उसके बाद दूसरा बिल सन् ४८ में पेश किया गया और वह सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और फिर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लेजिस्लेचर के सामने रखी गयी। कम से कम वह रिपोर्ट आया हुई। यहां तक यह बात है जिसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं मगर कुछ साहबान ऐसे बोलते हैं कि पब्लिक को ज्यादा वक्त देना चाहिये कि वह उन बातों पर काफी गौर करे। आप सोचें कि यह कहां तक सही बात है जब कि इस तरह के लेजिस्लेशन बराबर होते आये हैं । यह पहली दफा पेश हुआ, फिर दूसरी दफा पेश हुआ, फिर सेलेक्ट कमेटी में गया सेलेक्ट कमेटी में गौर हुआ और गौर करने के बाद उसकी रिपोर्ट छपी। इस तरह से सब की राय ली गयी।

मैं मानता हूं कि इसके बारे में किसी को खिलाफ राय हो सकती है, लेकिन यह कहना कि साहब, अभी तक इस मसले का कभी जिक्र ही नहीं हुआ और हमारी गवर्नमेंट ने उसे हमारे सामने रख दिया, हम तो सब कुछ जानते हैं और तुम बड़े जाहिल हो, जो इस तरह का काम कर रहे हो। दानिशमन्द लोगों के लिये यह कोई बहुत ज्यादा फैय्याजी का रवैया नहीं है। इसलिये मुझे यह अजीब बात लगती है यह बात उन साहब ने कही है जो बड़े उसूलों की बुनियाद के ऊपर सारी बातें कहते हैं। वे कम्युनिज्म को भी समझते हैं, दूसरी बातों को भी समझते हैं मगर उनकी समझ से उसूली बात करना तो ठीक है लेकिन उस पर अमल करना गलत है। इस तरह की बातों को मैं ठीक नहीं समझता हूं। आखिर में मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मैंने आप से कहा कि यह स्टेट ड्यूटी कोई नयी चीज नहीं है, पुरानी है, इस बारे में कोई इख्तलाफ राय हो सकती है, यह मैं समझ सकता हूं और ईमानदारी से हो सकती है, यह भी मैं मानता हूं। यह भी नहीं है कि जो दौलतमन्द आदमी हैं वे सिर्फ अपने दौलत के ख्याल से ऐसा करते हों, यह भी ख्याल हो सकता है कि यह तरीका ठीक नहीं है । मैं उस राय को नहीं रखता हूं। मैं दूसरी राय रखता हूं, मगर फिर भी मुमकिन है कि जो दूसरी राय रखते हैं उनकी राय उनके खयाल से सही हो। मगर यह कहना कि यह तो एक अजीब सी चीज है यह बात ऐसी नहीं है कि सही मालूम पड़े।

इग्लैंड में १८९४ ई० से इस्टेट ड्यूटी चली आती है। इस वक्त तो अगर कहीं पर बहुत बड़ा हिस्सा इस्टेट का खाली पड़ा है तो वह भी ड्यूटी के तौर पर चला जाता है । बाज वक्त में

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

समझता हूं आधा और तीन-चौथाई के क़रीब होता है। मैं इसको यक़ीन के साथ तो नहीं कह सकता मगर यूरोप के मुल्कों में ड्यूटी चली आती है और यहां पर भी यह कोई नई चीज़ नहीं है। ईजिप्ट में ६०० बी० सी० में इस्टेट ड्यूटी १० पर्सेंट ली जाती थी यह सुना जाता है। ग्रीस में थी, ईरान में थी। हमारे यहां तो यह रवैया था कि यहां पर मालदार आदमी नहीं होते थे। पुराने ज़माने में यह था कि किसान अपनी खेती करते थे और आराम से अपना गुजारा करते थे और बड़े सुख से रहते थे। वैसे भी हमारे यहां बड़ा मालदार होना कोई शान की बात नहीं समझी जाती थी और जिस किसी की ऐसी हैसियत होती थी वह सरकार की तरफ से काम करता था और वह या तो जागीरदार होता था या और दूसरे इस तरह के लोग होते थे। उनको एक तरह से होनहयाती हक मिलता था। सरकार का जो काम करते थे उसकी एवज में उनको इस तरह की चीजें मिलती थीं। उनका उसमें सिर्फ लाइफ इण्टरेस्ट (जीवन अधिकार) होता था। जब वह मर जाते थे उनका टेन्योर (अधिकार काल) खत्म हो जाता था और विरासत में उन के किसी आदमी को नहीं दिया जाता था। उस वक्त राजा या बादशाह जो होते थे उनके वारिस अगर उस काम के लायक होते थे तो उनको वह काम दिया जाता था नहीं तो टेन्योर इन ला (विधि की दृष्टि से अधिकार काल) खत्म हो जाता था। उनका लाइफ (जीवन भर) के लिये ही इण्टरेस्ट (अधिकार) था। यह रवैया बहुत पुराने जमाने का था। कल्टीवेटर का हक़ जाया नहीं होता था जैसा कि आज कल बड़े-बड़े ताल्लुकेदार हैं या परमानेंट सेटिलमेंट जैसा कि बंगाल में हुआ है इनके लिये वह चीज विरासत के तौर पर चलती है। इस तरह से हमारे यहां आजकल टेन्योर दूसरा है।

इसमें इसका सवाल नहीं उठता है कि यह चीज अजीब हुई है या यह हिस्टोरीकल (ऐतिहासिक) नुक्तेनजर से सही बात नहीं है। सारी दुनिया में जो बात है और जो हमारे ट्रेडीशनल बातें हैं उनके खिलाफ यह बात नहीं है। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि बहस ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सन् १९४६ ई० में इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के लिये जो बिल बनाया गया था उसके आबजेक्ट एण्ड रीजन्स (उद्देश्य और कारण) में यह लिखा हुआ है कि--

"Death duties in one form or another constitute an important element in the scheme of taxation of most progressive countries."

['अधिक उन्नति शील देशों में किसी न किसी रूपमें मृत्यु-कर कारारोपण की योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है।]

इसमें और इसी तरह की बातें हैं जिनको मैंने अभी तशरीह के साथ कहा है और ज्यादा कहना मैं गैरजरूरी समझता हूं। यहां पर सन् १९४८ ई० में जैसा कि मैंने कहा फिर दूसरा बिल छपा। वह बिल उस वक्त इण्ट्रोड्यूस (उपस्थित) किया गया था जब कि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उसके बाद दूसरा बिल उस वक्त आया था जब कि श्री षणमुखम् चेट्टी हमारे यहां के फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) थे। फिर उसकी रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी में आयी और सब लोगों ने इस बिल को मंजूर किया और उनकी तरफ से यह रिपोर्ट निकली। इसमें सर्वश्री जान मथाई, सन्थानम् और षणमुखम् चेट्टी जैसे समझदार आदमियों की राय थी। उस कमेटी ने यह सिफ़ारिश की थी कि यह बिल जो बना था यह नान एग्रीकलचरल लैंड के (भूमि जो कृषि संबंधी न हो उसके) लिये और नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (जो सम्पत्ति कृषि से संबंधित न हो) के लिये था। चूंकि कांस्टीट्यूशन में, जैसा कि कांस्टीट्यूशन तब था और अब है सेण्टर को अधिकार नहीं था कि वह एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में कोई कानून बनावे। इसलिये उन्होंने ऐसा कानून खुद नहीं बनाया, मगर वहां से यह आया कि उनकी यह राय है कि एग्रीकलचरल लैंड भी उसमें शामिल हो जाय तो अच्छा होगा। इस के लिये यह खत पहले आया। यह खत अगस्त सन् १९४८ ई०का है इसमें भी लिखा है कि--

"It would be seen from clause 4 of the Bill that it seeks to impose an Estate Duty on all property excluding agricultural land which is within the legislative sphere of provincial legislatures. The net proceeds of the proposed duty would, of course, be distributed among the provinces. In the course of preliminary discussion on the Bill, the Select Committee stressed the view that the provincial governments should be addressed with thesuggestion that they should introduce similar legislation in the provinces to levy Estate Duty on agricultural land or in the alternative to consider desirability of allowing the Dominion Legislature to legislate on their behalf. They emphasisde that whichever alternative is followed there should be complete unanimity and uniformity in this regard among all the provinces. The Government of India would prefer the latter alternative as it would make for uniformity and efficiency of administration. They would also be agreeable to making a statutory provision to the effect that the whole of the net proceeds of the Estate Duty in respect of agricultural land situate in a province will be assigned to that province irrespective of the formula that may be devised thereafter for distribution of the duty on property other than agricultural land."

विधेयक के खंड ४ को देखने से यह ज्ञात होगा कि यह कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य समस्त सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क आरोपित करता है, जो प्रान्तीय विधान मंडलों के विधायिनी क्षेत्राधिकार में है। निःसन्देह प्रस्थापित शुल्क की शुद्ध प्राप्ति प्रान्तों को ही वितरित की जायगी। विधेयक की प्रारम्भिक चर्चा के मध्य में प्रवर समिति ने इस दृष्टिकोण पर बल दिया कि प्रान्तीय सरकारों को यह सुझाव भेजा जाय कि वे प्रान्ततों में कृषिभूमि पर सम्पत्ति शुल्क आरोपित करने के लिए इसी प्रकार का विधान पुरःस्थापित करें अथवा विकल्प के रूप में अधिराज्य विधान मंडल द्वारा इस विषय में विधान निर्माण की अनुज्ञा देने की वांछनीयता पर विचार करें। उसने इस बात पर भी बल दिया कि जिस किसी भी विकल्प का अनुसरण किया जाय उसमें सब प्रान्तों में पूर्ण सहमति तथा एकरूपता हो। भारत सरकार पिछले विकल्प को अधिक उपयुक्त समझती है, क्योंकि इसके द्वारा प्रशासन की एकरूपता और कार्य-क्षमता प्राप्त हो सकती है। वह एतत्प्रभावी परिनियत उपबन्ध करने में भी सहमत होगी कि किसी प्रान्त में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त हुई सम्पत्ति शुल्क की समस्त शुद्ध प्राप्ति उसी प्रान्त को दे दे और कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति पर लगाये गये शुल्क के वितरण के लिये बनाये गये सूत्र का इस पर कोई प्रभाव न पड़े।

अब इसका क़ानून बदल गया है और वह सब इस्टेट ड्यूटी (सम्पति कर) चाहे जिस सोर्स (स्रोत) से भी हो वह सब स्टेट्स (राज्यों) को जायगी और उसकी आमदनी सेण्टर (केन्द्र) को नहीं जायगी चाहे वह एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री (कृषि अथवा उद्योग) किसी चीज़ की भी हो वह सब स्टेट को मिलेगी। यह ख़त सन् १९४८ ई० में आया और उसके बाद हाल में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से एक दूसरा ख़त आया जिसमें उन्होंने फिर इसी क़िस्म की बात कही—

"The net proceeds of the estate duty even in respect of property other than agricultural land are to be wholly assigned to the States under Article 269 of the Constitution. The net proceeds of estae duty leviable on agricultural land situated in a State would, of course, be handed over to the State concerned as the duty is levied on behalf of that State. It is hardly necessary to mention how inequitable the impact of estate duty would be if it is confined to non-agricultural property. Moreover, the exclusion of agricultural estates from the purview of the Estate Duty Bill which is now before Parliament would facilitate evasion besides creating needless difficulties in the administration of the duty. It is very necessary therefore, that there should be complete uniformity in regard to the levy of estate duty on agricultural land and of duty on property other than

[माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

agricultural land and this can only be achieved by enabling Parliament to legislate on behalf of your State under Article 252 of the Constitution."

कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति से आगत सम्पत्ति शुल्क की शुद्ध प्राप्ति संविधान के अनुच्छेद २६९ के अधीन पूर्ण रूप से राज्यों को ही प्रतिभाजित की जायगी। किसी राज्य में स्थित कृषि भूमि पर आरोप्य सम्पत्ति शुल्क की शुद्ध प्राप्ति निःसन्देह संबद्ध राज्य को ही दे दी जायगी, क्योंकि शुल्क उस राज्य की ओर से ही आरोपित किया जायगा। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि सम्पत्ति शुल्क का प्रतिघात कितना विषम होगा, यदि यह केवल भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति तक ही परिमित रखा जाय। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति शुल्क विधेयक के जो इस समय संसद के समक्ष है क्षेत्राधिकार से कृषि आस्थानों का अपवर्जन शुल्क के प्रशासन में अनावश्यक असुविधाएं उत्पन्न करने के अतिरिक्त कर वंचना को सुगम बनायेगा। अतः यह अत्यावश्यक है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क के आरोपण में पूर्ण एकरूपता हो और यह तभी सम्भव है जब कि आप संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन अपने राज की ओर से संसद को विधान निर्माण का अधिकार दें।

पिछले साल फिर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने यह खत हमारे पास भेजा और उस में क़रीब क़रीब जो वजूहात हैं वह सब दिये हुये हैं।

अगर आप यह समझें कि यह ख्याल था कि सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड (कृषिभूमि) पर ही ड्यूटी लगाई जाय, तो ऐसा हमारा इरादा हरगिज नहीं है। इरादा यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया मुल्क की हालत को देखते हुये अगर मुनासिब समझे तो नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी पर भी लगावे। इसके यह माने नहीं हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड पर तो जरूर लगाई ही जाय हालांकि यह दूसरी बात है कि ऐसी प्रापर्टी पर भी लगे। आप समझ सकते हैं, इसमें एग्जेम्पशन (छूट) है जो १ लाख, ६ लाख या ३ लाख या कुछ भी हो सकती है। पार्लियामेंट में इसमें बदलाव हो सकता है। मगर एग्जेम्पशन (छूट) की मिक़दार भी हमको क़ायम करनी होगी। किसी के पास नान-एग्रीकल्चर पापर्टी बहुत कम हो और एग्रीकल्चरल प्रापर्टी ज्यादा हो या इसी तरह से किसी के पास नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी ज्यादा हो और एग्रीकल्चरल प्रापर्टी कम हो, तो ऐसे केसेज (मामलों) में कम्पलीकेशन्स (जटिलता) भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इवेजन (कर वञ्चना) की भी गुंजाइश हो सकती है, मसलन् प्राइवट फारेस्ट्स (निजी जंगल) हैं उसकी आमदनी एग्रीकल्चरल कही जाय या नान-एग्रीकल्चरल कही जाय? बाज दफ़ा यह कहा गया कि टिम्बर की सेल (लकड़ी को बिक्री) से जो आमदनी होती है उस पर एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स (कृषि आय कर) लगे या नहीं। ऐसे ही और मामले हो सकते हैं जिनकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। लिहाजा एक सीधी सी बात है कि इस बात की जरूरत है कि अगर इस क़िस्म का कोई कानून बने तो अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो उसे एग्रीकल्चरल लैंड पर भी लगा दे। ऐसा अख्तियार पार्लियामेंट को देने का सवाल है। अख्तियार देने के यह मानी नहीं हैं कि वह जरूर टैक्स लगा ही दे। वहां भी हमारे रिप्रजेंटेटिव्ज (प्रतिनिधि) होंगे और अब तो वे ८६ हो गये हैं और कौंसिल आफ स्टेट्स में ३१ होंगे। उनकी आवाज काफ़ी बुलन्द होगी। वे हमारे प्राविंस को उसी तरह वहां रिप्रजेंट (प्रतिनिधित्व) करते हैं जैसे हम यहां करते हैं। लिहाजा कोई चीज बेजा नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई बात होगी तो वह सबके सामने आवेगी। हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड पर भी टैक्स लगे तो इसके बारे में जो भी बातें हों वे इस हाउस के सामने भी आवें ताकि हम भी उनके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकें। मान लीजिये कि हम अपने यहां एग्रीकल्चरल लैंड्स (कृषि भूमि) पर कोई टैक्स लगा दें जो और स्टेट्स में न हो, तो ऐसी सूरत में हमारे यहां के लोगों को दूसरे प्राविंसेज के लोगों से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कम्पिटीशन (कृषि की उपज में प्रतियोगिता)

करने में दिक्क़त होगी। जब हम अपनी राय का इजहार करेंगे तो पार्लियामेंट जरूर हमारी राय का कुछ तो लिहाज करेगी। आखिर फैसला तो पार्लियामेंट का ही होगा मगर हमारी राय को क़द्र जरूर होगी।

एक बात जानकर मुझे खुशी हुई कि अपोजीशन (विरोधी दल) के मेम्बरों का ज्यादा भरोसा हम पर है बमुकाबले पार्लियामेंट के। वह यह समझते हैं कि हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरह सोच कर तय कर सकते हैं बमुकाबले पार्लियामेंट के। इसे सुनकर मुझे बहुत तसकीन हुई। इससे तो मालूम होता है कि हमारी जमींदारी अबालीशन वगैरह की जो कुछ भी कार्यवाही हुई अब उनको यह मालूम होने लगा कि यह बहुत अच्छी हुई और अगर पार्लियामेंट के हाथ में होता तो न जाने क्या होता। इसलिये इन सब बातों को देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई और यह जान कर कि एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट्स (कृषि से संबंधित व्यक्ति) इस बात को पसन्द करते हैं कि जो कोई क़ानून बने तो हम बनायें बमुक़ाबिल इसके कि पार्लियामेंट बनाये। इसके लिये मैं बहुत मशकूर हूं और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो कोई क़ानून बने उसमें हमारी राय का काफी लिहाज रखा जाय और जैसा कि मैंने कहा इस हाउस में उसे रखने का भी हमारा इरादा रहेगा। हम जहां तक मुमकिन होगा पब्लिक की राय का भी उसमें लिहाज रखेंगे और यह देखेंगे कि सबको अपनी राय के इजहार करने का मौका मिले। लिहाजा इसमें सिर्फ इतना ही है कि हम उनको जो अख्तियार दे रहे हैं वह इसलिये दे रहे हैं कि जो कोई कार्यवाही हो वह सारे मुल्क की हालत देखते हुये हो। इन्कम टैक्स (आयकर) को ही ले लीजिये। अगर हर सूबे का अलग अलग कानून होता तो अच्छा नहीं होता। सारे मुल्क का एक कानून होने से तिजारत वगैरह में फायदा और सहूलियत होती है। मुझे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (कृषि आय कर) के बारे में भी यह जान कर तसल्ली हुई कि हमारा एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स समझा जाता है कि ज्यादा अच्छा है। अगर पार्लियामेंट के हाथ में होता तो न जाने कितना बुरा होता। इस कानून में अगर सारे मुल्क के लिये एक यूनिफार्म (समान) कानून हो जायगा तो वह अच्छा ही होगा और उस यूनिफ़ार्मिटी (समानता) के जरिये सबको कुछ न कुछ मैं समझता हूं सहूलियत हासिल होगी और कोई दिक्कत नहीं होंगी।

हमें रुपये की जरूरत बहुत ज्यादा है। अस्पतालों में दवा नहीं है। जगह-जगह गांवों में सड़कें नहीं हैं, लोग चौमासे में जा नहीं सकते। तालीम की यह हालत है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल ऐसे होते हैं कि बरसात में लड़कों को वहां पढ़ाना मुमकिन नहीं होता और भी इसी तरह से बीसियों बातें हैं। ये दिक्कतें कुछ हद तक इसलिये हैं कि हमारे यहां लोगों में इस तरह की चीज कि यह तो हमारी चीज है, हमें बनाना है वह पहली गवर्नमेंट ने पैदा नहीं की। मगर दूसरी बात यह भी है कि बगैर रुपये के कोई काम करना मुश्किल होता है। आज इंग्लैण्ड और अमरीका का हवाला दिया जाता है। अमरीका को छोड़ दीजिये क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की जितनी आमदनी होती है उसका शुमार लगाना भी हमारे लिये मुश्किल है, मगर इंग्लैण्ड की गवर्नमेंट को क़रीब ६ हजार करोड़ की आमदनी है रेवेन्यू की। इसके माने यह हैं कि हमारे मुक़ाबिले में सौ गुनी आमदनी युनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की है और उस सौ गुनी आमदनी में हमारे मुक़ाबिले में उनकी आबादी दो तिहाई है। हमारी आबादी ६, सवा ६ करोड़ के है और उनकी आबादी ४ करोड़ की है। इस तरह से १०० गुना आमदनी है और आबादी दो तिहाई है अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा वह लोगों की खिदमत कर सकते हैं। इसलिये जब हम मुकाबिला करते हैं कि इंग्लैन्ड में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है तो फिर हमको यह भी देखना है कि हमारी आमदनी की क्या हालत है और वहां की आमदनी की क्या हालत है और किस तरह से हम अपनी आमदनी बढ़ायें कि जिससे आगे बढ़ सकें।

हमने तो कांग्रेस को यह कहा है कि कांग्रेस क्लासलेस सोसायटी (वर्गहीन समाज) बनाने के लिये अपनी ताक़त लगाये। इसलिये नहीं कि लोग गिर जायं, बल्कि इसलिये

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कि सब लोग शान से रह सकें, सब की दिक्कतें दूर हों और सब अपना माथा ऊंचा करके बगैर इस बात की फिक्र के कि कैसे हमारा पेट भरेगा, बच्चों की तालीम कैसे होगी, हमारे बुढ़ापे की उम्र अच्छी तरह से कट सकेगी या नहीं, खुशी के साथ अपने मुल्क में ऊंचा सिर कर सकें। इसके लिये कांग्रेस काम करना चाहती है। मगर इन सब बातों क लिये कहीं न कहीं से कोई सरमाया कोई जरिया निकालना है। यह कहना कि जिन्दा आदमियों से पैसा लेना ज्यादा बेहतर है बमुकाबिले उनके जो कि गुजर जायं, मैं समझता हूं कि जिन्दों को भी कोई छोड़ नहीं रहा है। मगर फिक्र इसलिये नहीं कि जो गुजर गये उनसे क्यों लिया जाता है बल्कि फिक्र इसलिये है कि जो बच जाते हैं उनके ऊपर बोझ क्यों पड़ता है। उनके ऊपर बोझ न पड़े तो कोई फिक्र नहीं है।

यह सही है कि मुल्क की हालत ऐसी होनी चाहिये कि जो टैक्स का बोझा हो वह लोगों को तकलीफ न पहुंचावे। आज अमेरिका में अरबों का टैक्स लगा दिया जाय तो कोई फिक्र नहीं। वह कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान को सौ करोड़ का अनाज देते हैं इसलिये टैक्स लगा दिया। एक हजार करोड़ चाहते हैं वह मिल जाता है, ,अपने लिये नहीं दूसरों की मदद के लिये। यह हालत मुल्कों की होती है लेकिन वह इसलिये ही होती है कि वह रुपया जमा करते हैं और वह पैदावार को, यहां तक कि दूसरे मुल्कों की पैदावार को बढ़ाने में सहायता करते हैं। हमारे यहां तो यह रहा है कि आदमी के पास जो कुछ सरमाया है वह अच्छे काम में आये। कारेखैर के लिये बड़ी-बड़ी जायदादें होती थीं और उसको मुल्क में कारेखैर का जरिया समझा जाता है। जो तालीमयाफ्ता लोग हैं उनकी जरूरत खुद ही नहीं पूरी होती, लेकिन पहले लोग कारेखैर में बहुत कुछ देते थे। तो यह भी कारेखैर का जरिया होगा क्योंकि यह गरीबों की हालत को सुधारने में, बीमारों के इलाज करने में, रास्तों को ठीक करने में, धर्मशालाओं और जगहों की हालत ठीक करने में, तालीम बढ़ाने में ही इसको काम में लाया जायगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि यह टैक्स, अगर कभी लिया जायगा, तो उनकी रूह को इस टैक्स को लेते देख तकलीफ पहुंचेगी, उनको भी खुशी होगी कि जो जायदाद हम छोड़ गये थे वह बजाय इसके कि हमारे वारिस खराब करें और ऐसे बुरे-बुरे शौकों में बरबाद करें जिनमें उनको नहीं करना चाहिये और जिससे उनकी नेकनामी भी नहीं, गवर्नमेंट यह रुपये को ले कर अच्छे काम में लगाये। उन्हें यह अच्छा ही लगेगा और हमारे मुल्क को जो पुरानी तहजीब चली आती है उसके मुताल्लिक एक सही बात होगी यह सब तो बाद के देखने की बात है। इस वक्त तो सिर्फ एक कानूनी नुक्स को दूर करना है और मैं समझता हूं कि हाउस इसको पसन्द करेगा कि यह तजवीज मंजूर की जाय और पार्लियामेंट को यह अख्तियार दिया जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"सार्वजनिक हित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट डयूटी) लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक है और यह एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में संविधान की ७ वीं अनुसूची की सूची २ की मद ४८ के अधीन केवल राज्य विधान मंडल राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति रखता है;

और यह वांछनीय समझा गया है कि सभी राज्यों में इस संबंध में विधान की समानता हो और तदनुसार संसद् इस राज्य की ओर से विधान बनाये;

और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से,जिनके बारे में संसद् को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उन संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा।

अतएव उत्तर प्रदेश की विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क के लगाये जाने का विनियमन संसद् के अधिनियम द्वारा होवे और संसद् को यह सिफारिश करती है कि इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम इस राज्य में भी लागू किया जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन, ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१८ मार्च, १९५२ ई० ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

इंडो-पाकिस्तान ऐग्रीमेंट के अधीन उत्तर प्रदेश में वापिस आये मुसलमानों की जिलेवार संख्या

ज़िला		बालिग मर्द	बालिग औरत	बच्चे	कुल संख्या	विशेष विवरण
देहरादून	..	५	१	८	१४	..
सहारनपुर	..	५२	१५	२०	८७	..
मुजफ्फर नगर	..	३२	६	६	४४	..
मेरठ	..	२८१	१४७	२१३	६४१	..
बुलन्द शहर	..	१२७	५६	९२	२७५	..
अलीगढ़	..	८६४	६३७	८३७	२,३३८	..
मथुरा	..	५१	४१	५९	१५१	..
आगरा	..	४३७	२५५	५४१	१२३३	..
मैनपुरी	..	३४	२२	२३	७९	..
एटा	..	१७३	१४२	२२०	५३५	..
बरेली	..	१२४२	११८६	१७५३	४१८१	..
बिजनौर	..	७४	४	१४	९२	..
बदायूं	..	१५७	१०१	१६५	४२३	..
मुरादाबाद	..	४८०	३२०	१२०	९२०	..
शाहजहांपुर	..	१९९४	१६८७	२२५२	५९३३	..
पीलीभीत	..	४६०	४०९	६९९	१५६८	..
फर्रुखाबाद	..	५६	२५	२४	१०५	..
इटावा	..	३९	१५	३१	८५	..
कानपुर	..	४६७	१७५	२४५	८८७	..
फतेहपुर	..	१६	५	६	२७	..
इलाहाबाद	..	६८	२६	३७	१३१	..
बांदा	..	..	..	..	..	..
हमीरपुर	..	..	..	..	..	..
झांसी	..	४	१	१	६	..
जालौन	..	..	..	..	२	..
बनारस	..	३२	६	७	४५	..
मिर्जापुर	..	१	१	..	२	..
जौनपुर	..	५	..	..	५	..
गाजीपुर	..	..	..	..	..	..
बलिया	..	..	..	..	..	..

जिला		बालिग मर्द	बालिग औरत	बच्चे कुल संख्या	विशेष विवरण
गोरखपुर	..	१	..	१	२
बस्ती	..	३	..	२	५
आजमगढ़	..	११	२	..	१३
नैनीताल	..	२०	११	९	४०
अलमोड़ा	..	१	..	..	१
गाढ़वाल	..	..	..	..	..
लखनऊ	..	७४	२७	४४	१४५
उन्नाव	..	९	३	४	१६
रायबरेली	..	२	१	१	४
सीतापुर	..	७	२	६	१५
हरदोई	..	१०५	७१	१२२	२९८
खीरी	..	६८	५३	७१	१९२
फैजाबाद	..	११	५	१२	२८
गोंडा	..	८	२	..	१०
बहराइच	..	..	..	..	..
सुल्तानपुर	..	१०	..	१	११
प्रतापगढ़	..	१२	२	१	१५
बाराबंकी	..	४	१	२	७
देवरिया	..	..	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..
रामपुर	..	१९२	२२	५४	२६८
कुल जोड़	..	७६९१	५४८५	७७०३	२०८७९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

इण्डो-पाकिस्तान एग्रीमेंट के अधीन रेस्टोरेशन आफ प्रापर्टी के सार्टीफिकेट दिये जाने वाले तथा प्रापर्टी वापिस किये जाने वाले मुसलमानों की जिलेवार संख्या

जिला	सार्टि-फिकेट दिये जाने वालों की संख्या	प्रापर्टी-वापिस किये जाने वालो की संख्या	विशेष विवरण
देहरादून	१	१	...
सहारनपुर	...	..	..
मुजफ्फरनगर	...	..	..
मेरठ	...	..	..
बुलन्दशहर	१	१	...
अलीगढ़	३९	३९	...
मथुरा	५	५	...
आगरा	१२	१	...
मैनपुरी	...	..	..
एटा	३	२	...
बरेली	१५०	७४	...
बिजनौर	...	१	..
बदायूं	८	१	...
मुरादाबाद	...	..	..
शाहजहांपुर	३०४	१२९	...
पीलीभीत	२	२	...
फर्रुखाबाद	४	...	..
इटावा	...	..	..
कानपुर	१	...	..
फतेहपुर	...	..	..
इलाहाबाद	...	..	..
बांदा	...	..	..
हमीरपुर	...	..	..
झांसी	...	..	..
जालौन	...	..	..
बनारस	...	..	..
मिर्जापुर	..	..	..
जौनपुर	...	..	..
गाजीपुर	...	..	..
बलिया	...	..	..
गोरखपुर	...	..	..
बस्ती	...	..	..
आजमगढ़	...	..	..

उत्तर प्रदेश सभा विधान

जिला	सार्टि-फिकेट दिये जाने वालों की संख्या	प्रापर्टी-वापिस किये जाने वालों की संख्या	विशेष विवरण
नैनीताल	१	...	..
अल्मोड़ा	...	..	..
गढ़वाल	...	..	..
लखनऊ	१	..	..
उन्नाव	...	..	..
रायबरेली	...	..	..
सीतापुर	...	१	..
हरदोई	२६	२६	..
खीरी	...	..	..
फैजाबाद	...	..	..
गोंडा	...	..	..
बहराइच	...	..	..
सुल्तानपुर	...	..	..
प्रतापगढ़	...	..	..
बाराबंकी	...	..	..
देवरिया	...	..	..
टेहरी-गढ़वाल	...	..	..
रामपुर	५६०	२८७	..

विधान सभा